सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) ख के अनुसार 17 मैनुअल्स का संग्रह

वर्ष 2017–18

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड,

पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड

देहरादून– 248115

फोन नं0 0135–2532926 फैक्स नं0 0135–2532816

ई0मेल **ceo.uswdb.uk@gov.in, ceo.uswdb@yahoo.com**

मैनुअल सं0 01 से 17 तक

वर्ष 2017–18

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड से सम्बन्धित सूचना के अधिकार की हस्त पुस्तिका (मैनुअल) की सूची वर्ष 2017–18

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	परिचय	02
1	संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य	03–40
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	41–43
3	निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनायी जाने वाली कार्यविधि	44–49
4	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	50–54
5	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	55–64
6	उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण	65–68
7	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन–प्रतिनीधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण	69–70
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	71–72
9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	73–75
10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	76–77
11	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	78–83
12	अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के तरीके	84–88
13	रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण	89–93
14	इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें	94–95
15	सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	96–97
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां	98–99
17	अन्य उपयोगी जानकारियाँ	100–103

परिचय

उत्तराखण्ड में ऊन उत्पादन को बढावा देने तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास बहुत समय पूर्व से किये जाते रहें हैं। सर्वप्रथम तीसरे दशक की शुरूआत में Mr. Eagen तत्कालीन निदेशक, पशुपालन विभाग, अविभाजित उत्तर प्रदेश ने एक जुलाई, 1936 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विदेशी नस्ल के मेढ़ों से संकर प्रजनन कराये जाने की संस्तुति की गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में भेड़ पालन व्यवसाय के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1950 में राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, पीपलकोटी, चमोली की स्थापना की गयी। तत्पश्चात सन् 1953–54 में केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, पशुलोक, ऋषिकेश तथा चमोली में 03, बागेश्वर में 03 मेढ़ा केन्द्रों की स्थापना की गयी।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अर्न्तगत राज्य के भेड़पालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं तथा उनकी भेड़ों की ऊन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के सहयोग से सोसाइटी–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन पत्रांक 731/2003–2004 दिनांक 31.10.2003 द्वारा किया गया।

उत्तराखण्ड शासन के पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग के शासनादेश संख्या 568/प.म. दु.–उ.वि.बो/2003 देहरादून दिनांक 29 अक्टूबर 2003 के अनुसार माननीय राज्यपाल की स्वीकृति के अनुसार उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन निम्न प्रकार किया गया :–

1–मा0 मंत्री, पशुधन एवं मत्स्य, उत्तराखण्ड सरकार : पदेन अध्यक्ष
2–सचिव, पशुपालन उत्तराखण्ड शासन : पदेन उपाध्यक्ष
3–अपर सचिव, पशुधन एवं मत्स्य, उत्तराखण्ड शासन पदेन सचिव/सदस्य
4–प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन : पदेन सदस्य
5–सचिव, उद्योग उत्तराखण्ड शासन : पदेन सदस्य
6– मुख्य कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड
(वस्त्र मंत्रालय) भारत सरकार : पदेन सदस्य
7–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग, उत्तराखण्ड : पदेन सदस्य
8–प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड : पदेन सदस्य
9–प्रबन्ध निदेशक, कुमांयू मण्डल, विकास निगम, उत्तराखण्ड : पदेन सदस्य

मैनुअल–1

संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य

1. संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य :–

उत्तराखण्ड शासन के पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग के शासनादेश संख्या 568/प.म. दु.–उ.वि.बो/2003 देहरादून दिनांक 29 अक्टूबर 2003 के अनुसार उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड के गठन के निम्न उद्देश्य है–

1.1 संगठन के उद्देश्य–

उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड के उद्देश्य निम्नवत हैं :–

- उत्तराखण्ड में भेड़ों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग देना।
- उत्तराखण्ड में भेड़ों की बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम।
- उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
- उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना।
- उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना।
- उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करना।
- उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों को भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना।
- उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों के स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग देना।
- उत्तराखण्ड में भेड़ों की संख्या में आ रही कमी को रोकने हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से लाभकारी योजनाएं तैयार करना।
- उत्तराखण्ड में हथकरघा तथा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को तलाशने/स्थापना के प्रति तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहयोग देना।
- भेड़/बकरी पालकों एवं इस कार्य में लगे पशुपालन विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण के माध्यम से भेड़ पालन कार्यक्रम, कच्ची ऊन से ऊनी वस्त्रों के निर्माण की नई तकनीकी जानकारियों को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना।
- भेड़/बकरी पालन कार्यक्रम में लगे पशुपालन विभाग, अन्य विभागों को तालमेल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को एकरूपता की दृष्टि से चलाये जाने में सहायता प्रदान करना।

1.2 संगठन का मिशन–

उत्तराखण्ड राज्य में भेड़ बकरी एवं शशक पालन को सघन रूप से विकसित करके राज्य के ग्रामवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अवसर प्रदान करना है।

1.3 संगठन के कर्तव्य–उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट बोर्ड का मिशन निम्नवत् है–

- भेड़ों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम
- भेड़ों की बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम।
- भेड़ पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम
- भेड़ पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना।
- भेड़ पालकों द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना।
- भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी/ प्रशिक्षण प्रदान करना।
- भेड़ पालकों को भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना।
- भेड़ पालकों के स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग देना।
- हथकरघा तथा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को तलाशने/स्थापना के प्रति तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहयोग देना।
- भेड़/बकरी पालन कार्यक्रम में लगे पशुपालन विभाग, अन्य विभागों को तालमेल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को एकरूपता की दृष्टि से चलाये जाने में सहायता प्रदान करना।

1.4 संगठन के मुख्य कृत्य–

1– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम।
2– नस्ल सुधार कार्यक्रम।
3– उत्पादकता विकास कार्यक्रम।
4– भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाया जाना।
5– ऊन की ग्रेडिंग।
6– मशीन द्वारा ऊन कतरन।
7– उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में सहायता।
8– प्रशिक्षण कार्यक्रम।
9– बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना।

1.5 संगठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :–

उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसका उदय देश के 27 वें राज्य के रूप में 09 नवम्बर, 2000 को हुआ। उत्तराखण्ड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 84,79,562 है, जिसमें से 13,997 भेड़ पालक हैं, वर्ष 2003 की 17वीं पशुगणना के आधार पर इन भेड़ पालकों के पास कुल भेड़ों की संख्या 2.95 लाख है। उत्तराखण्ड में ऊन उत्पादन को बढावा देने तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास बहुत समय पूर्व से किये जाते रहें हैं। सर्वप्रथम तीसरे दशक की शुरूआत में Mr. Eagen तत्कालीन निदेशक, पशुपालन विभाग, अविभाजित उत्तर प्रदेश ने एक जुलाई, 1936 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विदेशी नस्ल के मेढ़ों से संकर प्रजनन कराये जाने की संस्तुति की गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में भेड़ पालन व्यवसाय के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1950 में राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, पीपलकोटी, चमोली की स्थापना की गयी। तत्पश्चात सन् 1953–54 में केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, पशुलोक, ऋषिकेश तथा चमोली में 03, बागेश्वर में 03 मेढ़ा केन्द्रों की स्थापना की गयी।

1.6 भेड़ों की संख्या में विगत वर्षों से निरन्तर कमी आ रही है, जिसके प्रमुख कारण निम्नवत् हैं :–

- भेड़पालकों का आधुनिक सुख–सुविधाओं के कारण व्यवसाय से पलायन।
- रोजगार साधनों का विविधीकरण।
- भेड़पालकों के उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त न होना।
- भेड़ पालन कार्य कठिन श्रम का होना।
- पारम्परिक भेड़पालकों में शिक्षा का व्यापक प्रसार होने के कारण इस कार्य में कम योगदान देना।
- भेड़ पालकों को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से हेय की दृष्टि से देखा जाना।
- वनों एवं चारागाहों की कमी।
- विभिन्न सेन्चुरियों का निर्माण कर चरान–चुगान क्षेत्र को प्रतिबन्धित करना।
- बुग्यालों की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट आना।
- वन अधिनियम के लागू होने से चरान–चुगान क्षेत्रों को प्रतिबन्धित करना।

1.7 भेड़ पालन कार्यक्रम को एकीकृत रूप से विकसित करने तथा भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 की स्थापना की गई।

1.8 **उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना :** भेड़पालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं तथा उनकी मांग को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन शासनादेश सं0 568/प.म.दु.ऊ.वि.बो./2003 दिनांक 29.10.03 के माध्यम से करते हुए इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं0 21,1860 के अधीन सं0 1998 दिनांक 31.10.03 के द्वारा किया गया।

1.9 संगठन के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा–

बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा – यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी. का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है :–

गवर्निंग बाडी :–

अध्यक्ष (माननीय पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार)/कार्यकारी अध्यक्ष
(राज्य सरकार द्वारा नामित)

↓

उपाध्यक्ष (राज्य सरकार द्वारा नामित) अथवा सचिव, पशुपालन, उत्तराखड शासन

↓

मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)/सदस्य–सचिव

↓

सदस्य **(25)**

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
2. सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन
3. सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन
4. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन
5. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
6. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
9. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (पर्वतीय कैम्पस) रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल/प्रतिनिधि
10. मुख्य अधिशासी अधिकारी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद/प्रतिनिधि
11. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड/प्रतिनिधि
13. मुख्य अधिशासी अधिकारी (अपर निदेशक समकक्ष), यू0एल0डी0बी0,देहरादून।
14. अधिशासी निदेशक, हाईफीड, रानीचौरी।
15. वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून।
16. डा0 यू0 के0 अथैया, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, देहरादून (विषय विशेषज्ञ)
17. भेड़पालक श्री जसपाल सिंह ग्राम बगोरी, पो0 हर्षिल, तहसील भटवाड़ी, उत्तरकाशी।
18. भेड़पालक श्री भगत सिंह ग्राम झेलम, जोशीमठ, चमोली।
19. भेड़पालक श्री सोहन सिंह, ग्राम गेठांड़ा, पो0 कोटबांगर, जखोली, रूद्रप्रयाग।
20. भेड़पालक श्री वीर सिंह, ग्राम गंगी, घुत्तू, घनसाली, टिहरी गढ़वाल।
21. भेड़पालक श्री ओम प्रकाश, ग्राम मनसारी, ढुंगीधार, थलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल।
22. भेड़पालक श्री भूप सिंह, ग्राम गोरछा, चकराता, देहरादून।
23. भेड़पालक श्री बलवन्त राम, ग्राम लीती, पो0 कपकोट, बागेश्वर।
24. भेड़पालक श्री गंगा सिंह जेष्टा, ग्राम पांतो, पो0 लीलम, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।
25. भेड़पालक श्री कुशाल सिंह, ग्राम सुरमोली, पो0 देघाट, अल्मोड़ा।

अधिशासी कमेटी :–

अध्यक्ष (सचिव, पशुपालन)

↓

उपाध्यक्ष (अपर सचिव, पशुपालन)

↓

मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)/सदस्य–सचिव

↓

सदस्य **(7)**

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य अधिशासी अधिकारी (अपर निदेशक समकक्ष), यू0एल0डी0बी0,देहरादून।
3. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम।
5. निदेशक, समाज कल्याण, देहरादून।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून।

विभागीय प्रशासनिक ढांचा :–

माननीय मंत्री जी, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार

↓

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग,

↓

सचिव, पशुपालन

↓

अपर सचिव, पशुपालन

↓

पशुपालन अनुभाग

↓

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड

↓

मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)

↓

अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी (वरिष्ठतम पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1)

↓

संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी (पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1)

↓

उप प्रबन्धक (पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–2)

↓

लेखाकार

↓

वरिष्ठ सहायक

↓

कनिष्ठ सहायक

↓

पशुधन प्रसार अधिकारी

↓

वाहन चालक

↓

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था निम्नवत् है–

- पशुधन प्रसार अधिकारी– पशुपालन विभाग।
- पशुचिकित्सा अधिकारी– पशुपालन विभाग।
- विकास खण्ड स्तर पर तैनात पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1–पशुपालन विभाग।
- मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़)– पशुपालन विभाग।
- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)– पशुपालन विभाग।
- परियोजना निदेशक, लघु पशु, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल– पशुपालन विभाग।
- मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)–यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0।
- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड– पशुपालन विभाग।
- अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।

- सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।

1.10 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते–

- पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1, विकास खण्ड– जनपद–
- मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), जनपद–
- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूं मण्डल, नैनीताल
- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
- अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

1.11 कार्यालय के खुलने तथा बन्द होने का समय –

कार्यालय का नाम	कार्यालय खुलने का समय	कार्यालय बन्द होने का समय
पशुचिकित्सा अधिकारी	ग्रीष्मकाल प्रातः 08:00 बजे	अपरान्ह 2:30 बजे
	शीतकाल प्रातः 09:00 बजे	अपरान्ह 3.30 बजे
मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)	प्रातः 10:00 बजे	सांय 05:00 बजे
अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	प्रातः 09:30 बजे	सांय 06:00 बजे

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग
संख्या 568/प.म.दु.–उ.वि.बो./2003
देहरादून दिनांक अक्टूबर 29, 2003

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड को क्रियान्वित करने हेतु श्री राज्यपाल ''उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के निम्नवत गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय देहरादून होगा।

1. माननीय पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड	पदेन अध्यक्ष
2. सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन उपाध्यक्ष
3. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सचिव/सदस्य
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
5. सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
6. मुख्य कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार	पदेन सदस्य
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
8. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य

Sd/-
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या 3484 पत्रावली सं0–19539D दिनांक 28.01.2014

सोसाईटी के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीनीकरण संख्या 340 / 2013–2014

फाईल संख्या 19539D

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड, पो0ओ0 मोथरोवाला देहरादून को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 731/2003-2004 दिनांक 31-Oct-13 को दिनांक 30-Oct-13 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीनीकृत किया गया है

रू0 500.000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 26-Dec -13

Sd/-
सोसाइटी–रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड

मा0 पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अध्यक्षता में पशुधन भवन, पशुपालन निदेशालय, मोथरोवाला, देहरादून के सभाकक्ष में दिनॉक 19 अगस्त 2017 को सम्पन्न हुई गवर्निंग बॉडी की 12 वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति संलग्न

सर्वप्रथम मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा बैठक में उपस्थित मा0 पशुपालन मंत्री जी का अभिवादन किया गया एवं बोर्ड के समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। सदस्यों के परिचय उपरान्त मा0 अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा पावरप्वाईन्ट प्रजेन्टेशन (प्रस्तुतीकरण) के माध्यम से बोर्ड के कार्यकलापों पर एजेण्डानुसार प्रस्तुति की।

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या 01: उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड – एक परिचय

मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून द्वारा बोर्ड के गठन, बोर्ड की स्थापना, मिशन/उद्देश्य तथा शासनादेशानुसार बोर्ड की गवर्निंग बॉडी एवं अधिशासी कमेटी के ढॉचे से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करते हुए अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 56 दिनांक 19 जनवरी, 2004 के अनुरूप उत्तराखण्ड राज्य में भेड़, बकरी तथा अंगोरा शशक आदि के विकास का समस्त कार्य उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में किया जा रहा है। इस कार्य में लगी समस्त राजकीय/अराजकीय/अर्ध सरकारी/स्वैच्छिक संस्थायें/एजेन्सियां आदि उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के नेतृत्व में उसके निर्देशानुसार एक छतरी के नीचे कार्य करेगी।

बिन्दु संख्या 02: गत बैठक दिनॉक 01 फरवरी 2016 से वर्तमान तक बोर्ड द्वारा निष्पादित निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यो का गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 05 भेड़–बकरी पालकों के प्रवर्जन मार्गों हेतु 05 सुसज्जित सचल पशुचिकित्सा वाहनों के माध्यम से पशुपालकों को पशुचिकित्सा शिविरों के माध्यम से चिकित्सा, दवापान, दवास्नान, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, प्रयोगशाला जॉच एवं मशीन द्वारा ऊन कतरन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया तथा योजना प्रारम्भ से वर्तमान तक की प्रगति पर अध्यक्ष महोदया द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना राज्य के सीमान्त पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़–बकरी पालकों एवं अन्य पशुपालकों के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं हितकारी है।

मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि RKVY में योजना मार्च 2018 तक ही संचालित है। भविष्य हेतु RKVY से सहायता प्राप्त नहीं होगी।

योजना के सफल संचालन में वर्तमान में प्रति वर्ष रू0 22.50 लाख का व्यय हो रहा है। अध्यक्ष महोदया द्वारा योजना के भविष्य में निरन्तर संचालन हेतु राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

मा0 पशुपालन मंत्री जी ने सभा में 05 सुसज्जित सचल पशुचिकित्सा वाहनों की सफलता एवं भेड़पालकों/पशुपालकों की मांग पर अन्य जनपदों में भी शीघ्र ही सुसज्जित सचल पशुचिकित्सा वाहन संचालित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड)

2. Pilot Project on Procurement and Marketing of Raw Wool in Uttarakhand

राज्य में ऊन कतरन एवं विपणन योजना शासनादेश संख्या 1076/XV-1/1(16)2016 दिनॉक 29.12.2016 के द्वारा स्वीकृत हुई है। योजना अनुरूप निम्न कार्यो का अनुमोदन किया गयाः–

- योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 से ऊन उत्पादकों की मशीन शियरिंग के उपरान्त कच्ची ऊन का क्रय कर ऊन की ग्रेडिंग, सोर्टिंग एवं संग्रह का कार्य किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड की उत्पादित ऊन की अलग पहचान एवं मूल्य संवर्धन के उद्देश्य से ऊन की विशिष्ट ब्राण्डिंग Uttarakhand Wool का Logo एवं ऊन की कीमत निर्धारण में पारदर्शिता एवं विक्रय लाभांश हेतु Online "Uttarakhand Wool Tracking System" का Launch मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2017 को किया गया।
- अधिशासी कमेटी के निर्णय के अनुरूप राज्य के भेड़पालक समुदाय से 58 शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को प्रशिक्षण उपरान्त रू0 15.00 प्रति किलो ऊन की दर से मानदेय दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरान्त इनसे मशीन ऊन कतरन/ग्रेडर/संग्रह का कार्य लिया जाना है।
- केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड की योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में मार्च 2017 में 21 चयनित नवयुवकों को केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर–राजस्थान एवं देश की प्रतिष्ठित ऊन मण्डी बीकानेर से प्रशिक्षण प्राप्त कराया जा चुका है।
- 21 अगस्त 2017 से 14 नवम्बर, 2017 (61 दिनों) तक Autumn Cliping में 29 मशीन ऊन कतरन शिविर, चिकित्सा शिविरों एवं 13 भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन निर्धारित शियरिंग कलेण्डर के अनुरूप किया जा रहा है। Winter Cliping में 13 शिविरों का आयोजन माह जनवरी/फरवरी 2018 में प्रस्तावित है।
- उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन उपरान्त कच्ची ऊन के ढुलान हेतु DGS & D दरों पर मैसर्स टाटा मोटर्स लि0 की ट्रक मॉडल LPT 909 BS IV का क्रय किया गया है। वाहन का उपयोग ऊन ढुलान के साथ–साथ राजकीय भेड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों से पशुधन के यातायात, चारा एवं आहार ढुलान इत्यादि कार्यो में भी किया जायेगा।
- ट्रक का बीमा, बॉडी एवं अन्य कार्यो में लगभग रू0 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय बोर्ड की प्राप्तियों से वहन किये जाने का गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।
- प्रथम चरण में योजनान्तर्गत ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय–विक्रय केन्द्र, मुनि की रेती–टिहरी गढ़वाल का सुदृढीकरण का कार्य किया गया है एवं द्वितीय चरण में भैंसवाड़ा प्रक्षेत्र अल्मोड़ा में ऊन स्टोर निर्माण आदि का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। **(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)**
- योजना पर चर्चा करते हुए उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रतिनिधि श्री बी0 एस0 तोपाल द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2016–17 में भेड़पालकों की अवशेष भण्डारित ऊन को क्रय करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार के विवेकाधीन कोष से रू0 75.00 लाख की धनराशि उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अवमुक्त की जा चुकी है। भेड़पालकों की ऊन का क्रय वर्ष 2017–18 में निर्धारित ऊन की दरों पर किया जायेगा।

(कार्यवाही–उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड)

3. अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना

- उन्नतशील भेड़ बकरी इकाईयों की स्थापना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत (10+1) 200 भेड़ एवं 400 बकरी इकाईयों की स्थापना वर्षवार निम्नवत की गई जिसका गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गयाः–

वर्ष	भेड़ इकाई	बकरी इकाई
2014–15	75	125
2015–16	75	125
2016–17	50	150
योग	**200**	**400**

- वर्ष 2017–18 में 196 इकाईयों की स्थापना निम्नवत की जा रही है, का अनुमोदन गवर्निंग बॉडी द्वारा किया गया।

क्र0सं0	जनपद	भेड़ इकाई	बकरी इकाई	योग
1	बागेश्वर	6	6	12
2	पिथौरागढ़	12	10	22
3	अल्मोड़ा	0	20	20
4	नैनीताल	0	10	10
5	चम्पावत	0	10	10
6	उधमसिंहनगर	0	10	10
7	टिहरी गढ़वाल	8	8	16
8	उत्तरकाशी	13	10	23
9	चमोली	13	10	23
10	रूद्रप्रयाग	6	6	12
11	पौड़ी गढ़वाल	4	8	12
12	हरिद्वार	0	12	12
13	देहरादून	4	10	14
	योग	**66**	**130**	**196**

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक, पशुपालन विभाग)

- **भेड़–बकरीपालकों का पंजीकरण** उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की वेबसाईट www.uswdbdehradun.in के अन्तर्गत Sheep and Goat Farmers Registration Portal के ऑनलाईन प्रारूप में भेड़–बकरीपालकों का पंजीकरण किया जा रहा है। वर्तमान तक 2539 भेड़–बकरीपालकों का पंजीकरण किया जा चुका है जिसका गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।
- मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि दिसम्बर 2017 तक लक्ष्यानुसार 5000 भेड़–बकरी पालकों का पंजीकरण पूर्ण कर लिया जाय। लक्ष्य पूर्ति हेतु सम्बन्धित जनपदों के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित किये जायें।
- पशुपालन विभाग एवं बोर्ड द्वारा भेड़–बकरी पालकों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं से पूर्व उनका पंजीकरण अनिवार्य किया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./ निदेशक, पशुपालन विभाग)

- वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा शिविरों एवं गोष्ठियों, भेड़–बकरी पालकों की कौशल वृद्वि तथा भेड़–बकरी पालकों के प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसका गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

4. भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (SWIS)

- केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की एकीकृत भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (Sheep and Wool Improvements Scheme-SWIS) के अन्तर्गत राज्य के 08 भेड़ बाहुल्य जनपदों उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में संचालित की जा रही है। प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।
- भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 05 रैम रैजिंग यूनिट्स कोपड़धार–टिहरी, बंगाली–चमोली, डुण्डा–उत्तरकाशी, पांगू–पिथौरागढ़ एवं शामालीती–बागेश्वर में स्थापित हैं। जिनके माध्यम से मेढ़े राज्य के विभिन्न जनपदों एवं राज्य के बाहर 815 मेढ़ों का वितरण किया गया, जिसका गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।
- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, जोधपुर–राजस्थान द्वारा पुनः केन्द्रीय भेड़पालक बीमा योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत केन्द्रांश रू0 162.00, भारतीय जीवन बीमा निगम का अंश रू0 100.00 तथा भेड़पालक अंश रू0 80.00 निर्धारित किया गया है।
- मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि बोर्ड में पंजीकृत भेड़पालकों के सहायतार्थ प्रथम वर्ष की प्रीमियम धनराशि बोर्ड द्वारा प्राप्तियों/आय से वहन की जाय एवं तदोपरान्त अगले वर्ष के प्रीमियम की धनराशि सीधे भेड़पालकों के बैंक खाते से auto debit हो जाय, ऐसी व्यवस्था विकसित की जाय।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

- केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, जोधपुर–राजस्थान के सहयोग से उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के तत्वाधान में **''भेड़–बकरीपालकों की एक दिवसीय कार्यशाला एवं ऊन क्रेता–विक्रेता सम्मेलन''** का आयोजन दिनॉक 08 मार्च 2017 को किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य सचिव, विशिष्ट अतिथि प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग, एवं सचिव, पशुपालन उत्तराखण्ड शासन एवं कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू–कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ–साथ राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से आये 130 भेड़–बकरी पालकों ने प्रतिभाग किया। गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

5. एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)

- Providing Facilities to Shepherds for Wool & Livelihood Improvement by Machine Shearing, Treatment Camps & Establishment of Sheep Goat Paravet Centre योजनान्तर्गत 05 भेड़ बाहुल्य जनपदों उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में 06 भेड़–बकरी पैरावेट केन्द्रों की स्थापना विकासखण्ड भटवाड़ी, पुरोला, भिलंगना, जोशीमठ, मुनस्यारी एवं कपकोट में की गई है। पैरावेटों द्वारा किये गये कार्यो की प्रगति का गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।
- वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत राज्य के भेड़ बाहुल्य जनपदों के भेड़–बकरी पालकों हेतु दिनॉक 25 अगस्त 2016 से प्रारम्भ मशीन ऊन कतरन शिविर कलैण्डर के अन्तर्गत 12 भेड़ प्रदर्शनी, 12 ऊन कतरन शिविर एवं 16 चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। मशीन ऊन कतरन शिविरों के माध्यम से 124 भेड़पालकों की लगभग 4137 भेड़ों की शियरिंग कर लाभान्वित कराया गया, जिसका गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

- 68 पैरावेट/ऊन शिययर की नई योजना रू0 746.51 लाख की स्वीकृति हेतु एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) को प्रेषित की गयी है।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

6. महिला बकरी पालन योजना

- राज्य में महिलाओं के हितार्थ परित्यक्ता महिला, विधवा महिला, निराश्रित महिला, दिव्यांग महिला, अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभावित महिलाओं हेतु बकरी पालन योजना संचालित है।
- योजना के प्रथम चरण में आपदा प्रभावित जनपदों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं बागेश्वर में कुल 120 बकरीपालक महिलाओं को प्रत्येक जनपद में 24–24 (3मादा +1नर) बकरी इकाईयों की स्थापना की गई, जिसका गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

- वर्ष 2017–18 में योजना हेतु रू0 30.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है जिसके अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार 75 इकाईयों की स्थापना का अनुमोदन गवर्निंग बॉडी द्वारा किया गयाः–

क्र0सं0	जनपद/विवरण	बकरी इकाई
1	अल्मोड़ा	12
2	नैनीताल	09
3	चम्पावत	09
4	उधमसिंहनगर	09
5	टिहरी गढ़वाल	09
6	पौड़ी गढ़वाल	09
7	हरिद्वार	09
8	देहरादून	09
	योग	**75**

- मा0 अध्यक्ष महोदया ने योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन में गरीबी रेखा से ऊपर, पेंशन प्राप्त एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित अभ्यर्थियों के स्थान पर गरीबी रेखा से नीचे रह रही, एस0सी0, एस0टी0 महिलाओं को प्राथमिकता दी जाय।

(कार्यवाही– समस्त मु0प0चि0अ0/निदेशक, पशुपालन विभाग)

7. ऊन की दरों का निर्धारण

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित समिति द्वारा राज्य के ऊन उत्पादक भेड़पालकों के प्रतिनिधि एवं ऊन क्रेताओं को आमंत्रित कर गहन विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से वर्ष 2017–18 हेतु कच्ची ऊन की गुणवत्ता के मानक के अनुरूप न्यूनतम दरें निर्धारित की गयी, जिसका गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

- उत्तरकाशी के भेड़पालक सदस्य द्वारा नई निर्धारित ऊन की दरों से नुकसान होने की सम्भावना व्यक्त करने पर मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि मशीन शियरिंग एवं ऊन ग्रेडिंग से कच्ची ऊन की गुणवत्ता में वृद्वि होगी तथा ऊन का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
- योजना के अन्तर्गत भेड़पालकों को ऊन कतरन, ऊन के ढुलान, भण्डारण एवं विपणन में सहायता प्राप्त होगी जिसका प्रत्यक्ष लाभ भेड़पालकों को ही प्राप्त होगा।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

8. नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (NLM)

इस योजना के अन्तर्गत भेड़–बकरी पालकों की भेड़ एवं बकरी की दुर्घटना से मृत्यु एवं अन्य अप्रत्याशित क्षति से बचाने हेतु पशुधन बीमा कराया जा रहा है। एक पशुपालक अपनी 50 भेड़–बकरियों का बीमा 20 से 50 प्रतिशत अंशदान पर कराकर लाभ प्राप्त कर सकता है। योजना के प्रारम्भ से वर्तमान तक कुल 8000 भेड़–बकरियों का बीमा किया गया। गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 03: दिनॉक 01 फरवरी 2016 को सम्पन्न हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की 11 वीं बैठक मा0 मंत्री जी, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार/अध्यक्ष, गवर्निंग बॉडी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनॉक 01 फरवरी 2016 को हुई थी। उक्त बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक 1123 दिनॉक 24 फरवरी 2016 के माध्यम से समस्त सदस्यों को प्रेषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में कोई टिप्पणी/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। कार्यवाही का गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 04: दिनॉक 27 जनवरी 2017 को सम्पन्न हुई अधिशासी कमेटी की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अधिशासी कमेटी की 11 वीं बैठक सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, अधिशासी कमेटी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनॉक 27 जनवरी 2017 को सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक का कार्यवृत पत्रांक 1048 दिनॉक 30 जनवरी 2017 के माध्यम से समस्त सदस्यों को प्रेषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। कार्यवाही का गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 05: उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 06: उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्तावित नई योजनाओं तथा भावी रणनीति पर विचार

1. उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अन्तर्गत राजकीय भेड़/बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में:–

राज्य में उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत 14 राजकीय भेड़–बकरी, शशक प्रजनन प्रक्षेत्र सीमान्त जनपदों में संचालित है। प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव निम्न तालिका अनुसार प्रेषित हैं–

क्र0सं0	राजकीय प्रक्षेत्र का नाम	वित्त पोषण हेतु योजना	धनराशि लाख रू0 में
1	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, थलकुण्डी, उत्तरकाशी	नाबार्ड	348.37
2	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, खलियाणबांगर, रूद्रप्रयाग	नाबार्ड	305.97
3	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, बंगाली, चमोली	नाबार्ड	274.17

4	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, पीपलकोटी, चमोली	RKVY	231.20
5	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, केदारकांठा, चमोली	RKVY	209.00
6	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, डुण्डा, उत्तरकाशी	RKVY	239.45
7	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, कोपड़धार, टिहरी	NLM	184.00
8	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, पांगू, पिथौरागढ	NLM	223.29
9	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, बारापट्टा, पिथौरागढ	वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	2668.02
10	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, कर्मी, बागेश्वर	वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	2671.08

- प्रक्षेत्रों की भेड़ों के नस्ल सुधार की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड में भेड़ एवं ऊन विकास की योजना 1938 से प्रारम्भ हुई एवं वर्ष 1993–94 तक विदेशों से आयातित भेड़ों से स्थानीय नस्ल सुधार के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किये गये।

Chronological Development of Sheep and Wool in Uttarakhand

Year	Description
1938	Directorate of Industries, British Govt. introduced following plans: 1.Jonsar Babar Wool Plan 2.Garhwal, Najibabad Wool Plan 3.Almora, Nainital Wool Plan
1939	Ruler of Tehri State Imported Rams from USA and supply one Ram each to Bhatwari and Purola Block Regions
-	Department of Animal Husbandry distributed few rams to progressive Bhotia Breeders of Harshil area in Uttarkashi
1951	Sustained and planed efforts in upgrading local sheep started.
1953-54	FAO as a gift provided 70 Ewes and 20 Rams each of Border liecesster, Corriedales and Polworth breed to CSWR Station Pashulok Rishikesh
1954-55	198 Polworth sheep imported
1956-57	199 Polworth sheep imported
1973	108 Polworth sheep imported
1973-74	294 Russian Merino sheep imported from USSR
1974-75	513 Russian Merino sheep imported from USSR
1976	Intensive Sheep Development Project [ISDP] initiative headquarter in Pauri Garhwal
1983-84	500 Rambouillet imported from USA
1984-85	300 Rambouillet imported from USA
1988-89	51 Rambouillet imported from USA
1993-94	1011 Rambouillet imported from USA

- वर्ष 1993–94 के पश्चात नये Germplasm प्राप्त न होने एवं Inbreeding की समस्या के कारण स्थानीय भेड़ों की ऊन की गुणवत्ता में आशानुरूप प्रगति प्राप्त नहीं हुई।
- आवश्यक है कि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड से नये Germplasm आयात कर राज्य के राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों पर व्यवस्थित किये जायं, जिससे स्थानीय भेड़पालकों की भेड़ों को उच्चीकृत किया जा सके।
- उक्त उद्देश्य से Introduction of Merino and Rambouillet (Pure Bred) at Govt.Sheep Breeding Farms Karmi, Bageshwar and Barapatta, Pithoragarh की रू0 5339.10 लाख की योजना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गयी है, जिसका अनुमोदन गवर्निंग बॉडी द्वारा किया गया।
- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा आयातित फ्रोजन सीमन से नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित करने पर चर्चा में मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0ब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि भेड़ों में फ्रोजन सीमन से conception में Laproscopic method/Surgical intervention की आवश्यकता होती है जिसे भेड़पालकों के द्वार तक किया जाना तकनीकी रूप से विकसित नहीं हो पायी है।

2. केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड को प्रेषित योजनाओं के सम्बन्ध में

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, जोधपुर राजस्थान को वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी हैं का अनुमोदन गवर्निंग बॉडी द्वारा किया गया।

धनराशि लाख रू0 में

S. No.	Schemes	2017-18	2018-19	2019-20	Total
1	Wool Marketing Scheme (WMS)	140.50	25.50	25.50	191.50
2	Wool Processing Scheme (WPS)	29.00	19.00	12.00	60.00
3	Wool Development Scheme (WDS) ongoing SWIS (2 Districts)	23.00	23.00	23.00	69.00
4	Wool Development Scheme (WDS) ongoing SWIS (6 Districts)	39.50	39.50	39.50	118.50
5	Angora Wool Development	25.00	-	-	25.00
6	HRD & Promotional Activities Scheme (HRD)	14.00	4.00	1.00	19.00
	Total	**271.00**	**111.00**	**101.00**	**483.00**

- मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के ऋषिकेश–मुनिकीरेती, टिहरी में वर्तमान में स्थापित ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय–विक्रय केन्द्र के सुदृढ़ीकरण, क्षमता विकास एवं E-Auction Wool Mandi के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की wool marketing scheme के अन्तर्गत रू0 191.50 लाख की योजना अगस्त, 2017 के प्रथम सप्ताह में प्रेषित की गयी है।

- Trade Advisor/संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त केन्द्र का निरीक्षण माह सितम्बर 2017 के प्रथम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। तत्पश्चात मा0 वस्त्र मंत्री, भारत सरकार द्वारा भी माह दिसम्बर, 2017 के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में केन्द्र का भ्रमण किया जा सकता है।
- मा0 अध्यक्ष महोदया ने अंगोरा शशक पालन एवं अंगोरा ऊन के विकास के विषय पर चर्चा करते हुए सुसंगत योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

3. भेड़–बकरी पालकों के चरान–चुगान के परमिट के सम्बन्ध में चर्चा

मुख्य अधिशासी अधिकरी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त विषय पर गठित मा0 मंत्रीमण्डल की उप समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में वन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करने हेतु कार्यवाही की जानी है। भोटिया ग्रेजिंग रूल्स 1927 में संशोधन के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनॉक 09.09.2016 को पशुपालन विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। शासनादेश अपेक्षित है।

उक्त के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण पर की गयी पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्ताव पुनः अध्यक्ष महोदया को उपलब्ध कराया जाय ताकि मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 मंत्रीमण्डल के समक्ष विषय पर निर्णय लिया जा सके।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड)

4. उत्तराखण्ड पशुधन एवं उत्पाद विपणन निगम लिमिटेड Uttarakhand Livestock and Product Marketing Corporation Limited [ULPMC] बनाये जाने पर चर्चा करते हुए अवगत कराया गया कि मा0 मंत्रीमण्डल की स्वीकृति उपरान्त निगम के गठन की कार्यवाही की जायेगी।

5. Uttarakhand Sheep & Goat Natural Meat Production & Marketing Project पर चर्चा करते हुए अवगत कराया गया कि भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ''किसान सम्पदा योजना'' के दिशा निर्देशों के अनुरूप योजना की रूप–रेखा FASAR – Food and Agri Business Strategic Advisory and Research – Yes Bank द्वारा तैयार की जा रही है। डी0पी0आर0 तैयार करने पर होने वाले व्यय का भुगतान बोर्ड की आय/प्राप्तियों से किया जायेगा। गवर्निंग बॉडी द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

6. उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के ढॉचे एवं कार्मिकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा

उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 1031/XV–1/16/7(7)/2008 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 पशुपालन विभाग में सृजित विभिन्न संवर्गो के 216 पदों को उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। दिनांक 27 जनवरी, 2017 को बोर्ड की अधिशासी कमेटी की बैठक में सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से सुसंगत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड)

- 14 राजकीय भेड़, बकरी एवं शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों पर रिक्त पशुचिकित्सा अधिकारियों एवं पशुधन प्रसार अधिकारियों के पदों पर प्राथमिकता के आधार तैनाती किये जाने एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग से कार्मिक तैनात किये जाने का अनुमोदन गवर्निंग बॉडी द्वारा किया गया। अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों के वेतन, भत्ते आदि हेतु बजट की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

(कार्यवाही– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड)

7. भेड़–बकरी पालकों का सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने एवं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन0सी0डी0सी0) से लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सचिव, पशुपालन एवं सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के क्रम में राज्य के भेड़–बकरी बाहुल्य जनपदों पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून में भेड़–बकरी पालकों की सोसाईटी पंजीकरण हेतु जनपदीय सहायक निबन्धक, सहकारिता विभाग को आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

- पंजीकृत सोसाइटी को एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से सीधे लाभान्वित किये जाने की योजना भी प्रस्तावित है।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./ निदेशक, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड)

बिन्दु संख्या – 07: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1. उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की गवर्निंग बॉडी हेतु नये भेड़पालक सदस्यों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में

मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 729/XV-1/15/7(7)08 दिनॉक 08 अगस्त 2015 के द्वारा राज्य के 09 भेड़ बाहुल्य जनपदों से भेड़पालक सदस्य नामित किये गये थे, जिनका कार्यकाल राज्य सरकार के विवेक पर अथवा अधिकतम दो वर्ष है। नामित सदस्यों की दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में नये प्रगतिशील भेड़पालकों को सदस्य के रूप में नामित करने हेतु जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा भेड़पालकों के नाम प्रस्तावित किये गये हैं के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि गवर्निंग बॉडी में भेड़पालक सदस्यों को नामित करने हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाय। **(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)**

2.उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अन्तर्गत गत वर्षो में नई–नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिसमें नियमित रूप से online MIS update करने, भेड़–बकरीपालकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का डाटाबेस तैयार करने, प्रोजेक्ट तैयार करने, संचालित योजनाओं के अनुश्रवण एवं सफल संचालन तथा शिविरों के आयोजन हेतु अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं में निहित प्रशासनिक मद/राज्य सेक्टर/बोर्ड की प्राप्तियों से दो प्रोग्रामर असिस्टेण्ट कम कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोजेक्ट असिस्टेन्ट, एक वाहन चालक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रान्तीय रक्षक दल/आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से प्राप्त कर कार्य लिया जा रहा है। गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन ने सुझाव दिया कि बोर्ड के बढ़ते हुए कार्यो के अनुरूप बोर्ड में अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु सुसंगत प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड)

3. पंतजलि योगपीठ के साथ सहयोग के सम्बन्ध में

मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशन में पंतजलि योगपीठ, हरिद्वार के सहयोग से राज्य के पशुपालकों की आर्थिकी में योगदान करने के उद्देश्य से बकरी के दूध की उपयोगिता एवं भेड़–बकरियों को हरे चारे का साईलेज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श करते हुए मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पीपलकोटी, चमोली एवं राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र डुण्डा (उत्तरकाशी) में भेड़–बकरियों को हरे चारे साईलेज की उपयोगिता का परीक्षण कर लिया जाय। सफल परिणाम पर अन्य प्रक्षेत्रों एवं भेड़–बकरी पालकों को इसका लाभ उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

4. प्रस्तावित बकरी स्वयंवर में प्रतिभागिता के सम्बन्ध में

मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में बकरी पालन को प्रोत्साहित करने एवं अन्तः प्रजनन की समस्या के समाधान के उद्देश्य से ग्रीन पीपुल्स/बकरी छाप संस्था पंतवाड़ी, टिहरी गढ़वाल द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2017 बकरी स्वयंवर का आयोजन किया गया। बोर्ड की अधिशासी कमेटी के अनुमोदन उपरान्त प्रतिभाग करते हुए, भेड़–बकरी चिकित्सा शिविर एवं प्रदर्शनी के आयोजन हेतु बोर्ड से सहयोग के रूप में रू0 50,000.00 की धनराशि बोर्ड की प्राप्तियों/अर्जित ब्याज से धनराशि संस्था को उपलब्ध करायी गयी।

बकरी स्वयंवर में पंतवाड़ी क्षेत्र के लगभग 1000 भेड़–बकरी पालकों/ग्रामवासियों, अतिथियों ने प्रतिभाग किया। आयोजन की सफलता को देखते हुए संस्था द्वारा पुनः माह अक्टूबर, 2017 के अन्तिम सप्ताह में कनाताल, टिहरी क्षेत्र में बकरी स्वयंवर का आयोजन प्रस्तावित है जिसमें बोर्ड की भागीदारी एवं सहयोग की अपेक्षा की गयी है जिसका गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि भेड़ों में अन्तः प्रजनन की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

5. मोबाईल डिपिंग टैंक क्रय करने के सम्बन्ध में

मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि सीमान्त एवं पिछड़ा विकास निधि के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में भेड़–बकरियों को वाह्य परजीवियों से बचाव हेतु दवास्नान के लिए मोबाईल डिपिंग टैंक स्वीकृत करते हुए रू0 21. 19 लाख की धनराशि मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा बोर्ड को क्रय करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

मोबाईल डिपिंग टैंक के निर्माता मुख्यतः विदेशी कम्पनियां हैं। अतः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के क्रम में ई0टेण्डरिंग के माध्यम से क्रय किये जाने का गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया। मोबाईल डीपिंग टैंक का उपयोग जनपद पिथौरागढ़ के साथ–साथ अन्य जनपदों के भेड़पालकों के उपयोगार्थ भी किया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

6. राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की भेड़ों के ग्रीष्मकालीन प्रवास/बुगयाल के दौरान कार्मिकों के यात्रा एवं अन्य भत्तों के सम्बन्ध में

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की भेड़ों के ग्रीष्मकालीन प्रवास/बुगयाल के दौरान कार्मिकों के यात्रा एवं अन्य भत्तों का भुगतान लगभग रू0 4.00 लाख लम्बित है, जिसकी मांग मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा बोर्ड से की गयी है।

इसी प्रकार अन्य प्रक्षेत्रों पर कार्मिकों के देयक, भेड़–बकरी आहार के भुगतान, आकस्मिक व्यय, कार्मिकों की व्यवस्था आदि हेतु समय–समय पर प्रक्षेत्र प्रभारियों एवं मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा धनराशि की मांग बोर्ड से की जा रही है जिसका व्यय बोर्ड की आय/प्राप्तियों से किये जाने का अनुमोदन गवर्निंग बॉडी द्वारा किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

7. बकरी प्रदर्शनी के आयोजन के सम्बन्ध में

जनपदों के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा बकरी प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है के सम्बन्ध में राज्य में भेड़ प्रदर्शनियों के अनुरूप विभिन्न जनपदों में 10 बकरी प्रदर्शिनयों का आयोजन बोर्ड की प्राप्तियों से किये जाने का अनुमोदन किया गया। **(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)**

बिन्दु संख्या – 08: बैलेन्स शीट वर्ष 2016–17

बोर्ड को वर्ष 2016–17 में राज्य सेक्टर तथा केन्द्र सहायतित विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि तथा बोर्ड को लेवी एवं अन्य मदों में प्राप्त होने वाली धनराशि का चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिट करा लिया गया है। सम्बन्धित ऑडिट रिपोर्ट एवं बैलेन्स शीट का गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की बैठक प्रत्येक 06 माह में आयोजित किये जाने के निर्देश के साथ बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

Sd/-

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन/
उपाध्यक्ष, गवर्निंग बॉडी, यू.एस.डब्लू.डी.बी.

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड

"पशुधन भवन" द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड,
पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115, 0135–2532926 फैक्स 0135–2532816
ceo.uswdb.uk@gov.in, ceo.uswdb@gmail.com, www.uswdbdehradun.in, www.uswdbwool.in

पत्रांक 664 /बैठक/गवर्निंग बॉडी–यू.एस.डब्लू.डी.बी./2017–18 दिनॉकः 28 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि–निम्नांकित की सेवा में बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. बैठक में उपस्थित समस्त सदस्य।
2. प्रभारी अधिकारी, ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय–विक्रय केन्द्र मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।
3. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक–ऋषिकेश।
6. अपर निदेशक पशुपालन विभाग, गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
7. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून।
8. अधिशासी निदेशक, हाईफीड, रानीचौरी, टिहरी गढवांल
9. निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, सहकारिता विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, गढवाल मंडल विकास निगम, देहरादून।
13. मुख्य अधिशासी अधिकारी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, देहरादून।
14. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 देहरादून।
15. परियोजना निदेशक, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP), देहरादून।
16. वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून।
17. निदेशक, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
18. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (वस्त्र मत्रालय), भारत सरकार, जोधपुर, राजस्थान।
19. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
20. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
21. निजी सचिव, सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
22. प्रमुख निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
23. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
24. प्रमुख निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

Sd/-
(डा0 अविनाश आनन्द)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून

बैठक की उपस्थिति

क्र.सं.	नाम	पदनाम	
1.	श्रीमती रेखा आर्या	माननीय पशुपालन मंत्री उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष
2.	श्री अर्जुन सिंह	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन–प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	डा0 एस. एस. बिष्ट	निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
4.	डा0 कमल सिंह	मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0	सदस्य
5.	डा0 अविनाश आनन्द	मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0	सदस्य सचिव
6.	श्री सत्ये सिह रावत	उप महाप्रबन्धक, सामाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड प्रतिनिधि निदेशक समाज कल्याण	सदस्य
7.	डा0 कमल बहुगुणा	निदेशक, हाईफीड रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल	सदस्य
8.	श्री एल.एम. श्रीवास्तव	उप महाप्रबन्धक, प्रशासन प्रतिनिधि प्रबन्धक निदेशक गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड, देहरादून	सदस्य
9.	श्रीमती शैली डबराल	उप निदेशक, उद्योग निदेशालय प्रतिनिधि मुख्य अधिशासी अधिकारी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, देहरादून	सदस्य
10.	श्री अमित श्रीवास्तव	वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून।	सदस्य
11.	श्री हुकम सिह मोल्फा	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून प्रतिनिधि, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून	सदस्य
12.	श्री बी.एस.तोपाल	तकनीशियन, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून	.
13.	श्री जसपाल सिंह रावत	भेड़पालक, उत्तरकाशी	सदस्य
14.	श्री भूप सिंह चौहान	भेड़पालक, चकराता देहरादून।	सदस्य
15.	डा. अशोक एल. बिष्ट	अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0	–
16.	डा. राकेश कुमार	पशुचिकित्सा अधिकारी गेड़–1, गो.से.आ.	–
17.	डा. पूजा कुकरेती	उप प्रबन्धक, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0	–
18.	श्री हितेन्द्र यादव	प्रभारी अधिकारी, ऊन श्रेणीकरण केन्द्र मुनि की रेती	–
19.	श्रीमती रश्मि रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0	–
20.	श्री सहदर सिंह	भेड़पालक/ऊन शियरर, मोरी, उत्तरकाशी	–
21.	श्री विजय पाल सिंह	भेड़पालक/ऊन शियरर, मोरी, उत्तरकाशी	–
22.	श्री महादेव सिंह	भेड़पालक/ऊन शियरर, मोरी, उत्तरकाशी	–
23.	श्री जयवीर सिंह	भेड़पालक/ऊन शियरर, मोरी, उत्तरकाशी	–
24.	श्री सुन्दर सिंह	भेड़पालक/ऊन शियरर, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग	–
25.	श्री जगदम्बा प्रसाद	भेड़पालक/ऊन शियरर, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग	–
26.	श्री सुरेश सिंह	भेड़पालक/ऊन शियरर, नैटवाड़, उत्तरकाशी	–
27.	श्री नरेन्द्र सिह बिष्ट	भेड़पालक/ऊन शियरर, देवाल, चमोली	–
28.	श्री कुलदीप सिंह	भेड़पालक/ऊन शियरर, पुरोला, उत्तरकाशी	–
29.	श्री उत्तम सिंह	भेड़पालक/ऊन शियरर, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	–
30.	श्री महावीर सिंह	भेड़पालक/ऊन शियरर, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	–
31.	श्री राजमोहन सिंह	भेड़पालक/ऊन शियरर, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	–

सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, अधिशासी कमेटी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनॉक 22 नवम्बर, 2017 को सम्पन्न हुई अधिशासी कमेटी की 12 वीं बैठक का कार्यवृत

उपस्थिति संलग्न

सर्वप्रथम मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा बैठक में उपस्थित सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन (अध्यक्ष), अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन (उपाध्यक्ष) एवं अन्य सदस्यों का अभिवादन किया गया। अवगत कराया गया कि बैठक में समस्त राजकीय भेड़, बकरी एवं शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों एवं संस्थाओं के प्रभारी, नवनियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी, पैरावेट्स को भी आमंत्रित किया गया है। उपस्थित समस्त प्रतिभागियों द्वारा अपना परिचय दिया गया। परिचय उपरान्त सचिव, पशुपालन उत्तराखण्ड शासन/मा0 अध्यक्ष जी द्वारा सभा को सम्बोधित किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भेड़–बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के सहयोग से प्रस्तावित योजना हेतु प्रत्येक जनपद में जनपदीय भेड़, बकरी, शशक पालक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव लि0 का गठन शीघ्र कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उत्तराखण्ड राज्य में अत्याधुनिक वधालय स्थापित किये जाने की योजना है। राज्य में भेड़, बकरी के मांस की आवश्यकता की पूर्ति को असंगठित क्षेत्र से परिवर्तित करते हुए रक्षा संस्थानों, शिक्षा संस्थानों एवं आम उपभोक्ताओं को स्वस्थ एवं स्वच्छ मांस की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जायेगा। अतः योजना के लिए प्रत्येक जनपद में जनपदीय भेड़, बकरी, शशक पालक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव लि0 के गठन का कार्य पूर्ण कर लिया जाय। इससे भेड़–बकरी पालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने की दिशा में यह एक सार्थक प्रयास होगा, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु अभूतपूर्व कार्य होगा।

तद्परान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा एजेण्डावार प्रस्तुतीकरण अध्यक्ष/सदस्यों के सम्मुख किया गया तथा प्रस्तरवार चर्चा की गई–

बिन्दु संख्या 01: दिनॉक 27 जनवरी 2017 को आयोजित अधिशासी कमेटी की बैठक के कार्यवृत एवं की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 02: दिनॉक 19 अगस्त 2017 को सम्पन्न हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक के कार्यवृत पर चर्चा करते हुए की गई कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की गई।

बिन्दु संख्या 03: वर्ष 2017–18 में बोर्ड में संचालित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति पर चर्चा

1.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Impoving the Livelihood of Sheep Breeders using 05 Mobile Veterinary Van on Migratory Routes योजनान्तर्गत भेड़–बकरीपालकों के प्रवर्जन मार्गो हेतु 05 सुसज्जित सचल पशुचिकित्सा वाहनों के माध्यम से भेड़–बकरीपालकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से अवगत कराया गया। अधिशासी कमेटी द्वारा सचल पशुचिकित्सा वाहनों की प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किया गया।

मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि दिनॉक 19 अगस्त 2017 को सम्पन्न हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में योजना के भविष्य में निरन्तर संचालन हेतु राज्य सेक्टर योजना में धनराशि का प्राविधान करने हेतु रू0 285.33 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु राज्य सेक्टर योजना में धनराशि की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निदेशक, पशुपालन को निर्देशित किया गया। **(कार्यवाहीःनिदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड)**

2. Pilot Project on Procurement and Marketing of Raw Wool in Uttarkhand

- राज्य में संचालित ''राज्य ऊन कतरन एवं विपणन'' योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 से ऊन उत्पादकों से शियरिंग मशीन द्वारा उतारी गई कच्ची ऊन का क्रय कर ऊन की ग्रेडिंग, सोर्टिंग एवं संग्रह का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में शियरिंग कलैण्डर के माध्यम से भेड़ बाहुल्य जनपदों में 23 मशीन ऊन कतरन शिविरों का आयोजन किया गया।
- ऊन श्रेणीकरण केन्द्र मुनिकीरेती पर वर्तमान तक 38 कु0 कच्ची ऊन का क्रय किया गया है।
- कच्ची ऊन के क्रय पर प्रयुक्त राजकीय वाहन के संचालन पर व्यय की पूर्ति शासनादेशों के अनुरूप योजनान्तर्गत स्थापित रिवाल्विंग फण्ड से किये जाने का अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।
- राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना के अन्तर्गत ऊन श्रेणीकरण केन्द्र मुनिकीरेती एवं भैंसवाड़ा अल्मोड़ा में क्रय की गयी कच्ची ऊन के विक्रय दरों का निर्धारण (प्रति कि0ग्रा0) निम्नवत प्रस्तावित की गयी, जिसका अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया:–

S. No.	Quality Parameters of Raw Wool (कच्ची ऊन की गुणवत्ता के मानक)	वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित क्रय की ऊन दरें (प्रति कि0ग्रा0)	ग्रेडिंग, स्टोरेज, धूल–मिट्टी एवं वनस्पतिक सामग्री हानि, आद्रता (नमी), परिवहन हानि कुल क्रय कच्ची ऊन का लगभग 1 (एक) प्रतिशत	ग्रेडिंग एवं पैंकिग व्यय	परिवहन व्यय (प्रति कि0ग्रा0)	कुल व्यय	प्रकीर्ण व्यय (कुल व्यय का 10 प्रतिशत)	योग	केन्द्र पर निर्धारित ऊन की न्यूनतम विक्रय दर (प्रति कि0ग्रा0)
1	2	3	4	5	6	7 [3+4+5+6]	8	9 [7+8]	10
	White Wool								
1	White Body Wool – Length 70 mm and above								
	Diameter - less than 20 µ	110.00	1.10	7.00	14.00	132.10	13.21	145.31	145.00
	Diameter - 20-22.5 µ	100.00	1.00	7.00	14.00	122.00	12.20	134.20	134.00
	Diameter - 22.5- 26 µ	85.00	0.85	7.00	14.00	106.85	10.69	117.54	118.00
	Diameter - 26-31 µ	60.00	0.60	7.00	14.00	81.60	8.16	89.76	90.00
2	White Body Wool - Length 60-70 mm								
	Diameter - less than 20 µ	90.00	0.90	7.00	14.00	111.90	11.19	123.09	123.00
	Diameter - 20-22.5 µ	85.00	0.85	7.00	14.00	106.85	10.68	117.53	118.00
	Diameter - 22.5- 26 µ	80.00	0.80	7.00	14.00	101.80	10.18	111.98	112.00
	Diameter - 26-31 µ	50.00	0.50	7.00	14.00	71.50	7.15	78.65	79.00
3	White Body Wool - Length Below 60 mm								
	Diameter - 20-24 µ	40.00	0.40	7.00	14.00	61.40	6.14	67.54	68.00
	Diameter - above 24 µ	30.00	0.30	7.00	14.00	51.30	5.13	56.43	56.00
4	White Skirt Wool	30.00	0.30	7.00	14.00	51.30	5.13	56.43	56.00

S. No.	Quality Parameters of Raw Wool (कच्ची ऊन की गुणवत्ता के मानक)	वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित क्रय की ऊन दरें (प्रति कि0ग्रा0)	ग्रेडिंग, स्टोरेज, धूल–मिट्टी एवं वनस्पतिक सामग्री हानि, आद्रता (नमी), परिवहन हानि कुल क्रय कच्ची ऊन का लगभग 1 (एक) प्रतिशत	ग्रेडिंग एवं पैकिंग व्यय	परिवहन व्यय (प्रति कि0ग्रा0)	कुल व्यय	प्रकीर्ण व्यय (कुल व्यय का 10 प्रतिशत)	योग	केन्द्र पर निर्धारित ऊन की न्यूनतम विक्रय दर (प्रति कि0ग्रा0)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 [3+4+5+6]**	**8**	**9 [7+8]**	**10**
	Black / Brown/Grey Wool								
1	Black/Brown/Grey Body Wool - Length 70 mm								
	Diameter - less than 20 µ	65.00	0.65	7.00	14.00	86.65	8.66	95.31	95.00
	Diameter - 20-22.5 µ	60.00	0.60	7.00	14.00	81.60	8.16	89.76	90.00
	Diameter - 22.5- 26 µ	50.00	0.50	7.00	14.00	71.50	7.15	78.65	79.00
	Diameter - 26-31 µ	45.00	0.45	7.00	14.00	66.45	6.64	73.09	73.00
2	Black/Brown/Grey Body Wool - Length 60-70 mm								
	Diameter - less than 20 µ	55.00	0.55	7.00	14.00	76.55	7.65	84.20	84.00
	Diameter - 20-26 µ	50.00	0.50	7.00	14.00	71.50	7.15	78.65	79.00
	Diameter - 26-31 µ	45.00	0.45	7.00	14.00	66.45	6.64	73.09	73.00
3	Black/Brown/Grey Body Wool- Length Below 60 mm								
	Diameter - 20-24 µ	30.00	0.30	7.00	14.00	51.30	5.13	56.43	56.00
	Diameter - above 24 µ	25.00	0.25	7.00	14.00	46.25	4.62	50.87	51.00
4	Black Skirt Wool	15.00	0.15	7.00	14.00	36.15	3.61	39.76	40.00
	Other Fibre								
1	Gaddi Goat Hair	50.00	0.50	7.00	14.00	71.50	7.15	78.65	79.00
2	Angora Goat Hair	100.00	1.00	7.00	14.00	122.00	12.20	134.20	134.00
3	Angora Rabbit Wool	1500.00	15.00	7.00	14.00	1536.00	153.60	1689.60	1690.00

- राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना के शासनादेशों के अनुरूप उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार उक्त केन्द्रों पर कच्ची ऊन का विक्रय उक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य पर E-Auction द्वारा किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड राज्य के कच्ची ऊन के उपभोक्ताओं/संस्थाओं के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त केन्द्रों पर विक्रय हेतु उपलब्ध ऊन की मात्रा का 20 प्रतिशत तक निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य की दरों पर किये जाने का अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।
- योजनान्तर्गत मदों के अन्तर्गत किये जा रहे विभिन्न कार्यो का अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।

- मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि M/S Mojopanda Exim Pvt. Ltd. गुड़गॉव–हरियाणा के द्वारा राज्य में नैसर्गिक ऊन उत्पादन पर कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में M/S Mojopanda Exim Pvt. Ltd द्वारा जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी क्षेत्र के भेड़पालकों से रू0 65/–प्रति कि0ग्रा0 की दर से 240 कु0 ऊन का क्रय किया गया है।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त फर्म से उनके द्वारा क्रय की गई ऊन की पूर्ण सूचना भेड़पालकों के नाम एवं ऊन की गुणवत्ता सहित प्राप्त कर ली जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि फर्म आगामी वर्षो में ऊन विक्रय से होने वाले लाभांश की भागीदारी भेडपालकों के मध्य करेंगे।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रतिनिधि श्री बी0 एस0 खत्री द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2016–17 में भेड़पालकों की अवशेष भण्डारित ऊन को क्रय करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार के विवेकाधीन कोष से उपलब्ध कराई गई धनराशि रू0 75.00 लाख से 838 कु0 ऊन का क्रय कर लिया गया है, जिससे 260 भेड़पालक लाभान्वित हुए हैं।

3. अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना

3.1.उन्नतशील भेड़–बकरी इकाईयों की स्थापना (राज्य सेक्टर)

योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक तीन वर्षो में 200 भेड़ एवं 400 बकरी इकाईयों की स्थापना की गई है। वर्ष 2017–18 में 196 भेड़–बकरी इकाईयों (भेड़ इकाई 66 + बकरी इकाई 130) की स्थापना जनपदों में की जा रही है।

3.2.भेड़–बकरीपालकों का पंजीकरण (राज्य सेक्टर)

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की वेबसाईट के अन्तर्गत भेड़–बकरीपालकों का पंजीकरण किया जा रहा है तथा निर्धारित लक्ष्य 5000 के सापेक्ष 2612 भेड़–बकरी पालकों का पंजीकरण किया जा चुका है। दिनॉक 19 अगस्त 2017 को सम्पन्न हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में मा0 पशुपालम मंत्री जी/अध्यक्ष महोदया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपदवार पंजीकरण हेतु लक्ष्यों का आवंटन निम्नानुसार किया गया हैः–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2017–18 के लिए भेड़–बकरी पालक पंजीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य
1.	हरिद्वार	400
2.	देहरादून	200
3.	पौड़ी	300
4.	रूद्रप्रयाग	200
5.	उत्तरकाशी	400
6.	टिहरी गढ़वाल	350
7.	चमोली	300
8.	बागेश्वर	400
9.	पिथौरागढ़	800
10.	चम्पावत	300
11.	अल्मोड़ा	700
12.	नैनीताल	350
13.	उधमसिंहनगर	300
	योग	**5000**

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आवंटित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति पूर्ण की जाय।

3.3 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में बहुद्देशीय पशुचिकित्सा शिविर एवं गोष्ठियों के आयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है धनराशि प्राप्त होने पर प्रत्येक विकासखण्ड में 04 पशुचिकित्सा शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

(कार्यवाहीः समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी उत्तराखण्ड/उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

3.4 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत भेड़–बकरी पालकों की कौशल वृद्धि के सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2017–18 हेतु धनराशि स्वीकृत हो गई है। दिनांक 08 दिसम्बर 2017 को केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर–राजस्थान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन मेले में राज्य भेड़–बकरी पालकों को अध्ययन भ्रमण कराया जाना प्रस्तावित है जिसका अनुमोदन अधिशासी कमेटी द्वारा किया गया।

सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य के भेड़–बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों पर नव नियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारियों को भी इस अध्ययन भ्रमण में प्रतिभाग कराकर नई तकनीकियों की जानकारी प्राप्त करायी जाय। **(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)**

3.5 वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत भेड़–बकरी पालकों के प्रवर्जन मार्गो हेतु अतिरिक्त सुविधाओं के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है। मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि प्राप्त होने पर ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु भेड़–बकरी पालकों को टेन्ट एवं मैट्रेस वितरित किये जाने प्रस्तावित हैं, जिसका अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया। **(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)**

3.6 मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2014–15, 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत भेड़–बकरी पालकों द्वारा ग्रीष्मकालीन प्रवास पर जाने से पूर्व एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

पूर्व की भॉति वर्ष 2017–18 में हेतु भी भेड़–बकरी पालकों के ग्रीष्मकालीन प्रवास से पूर्व माह फरवरी/मार्च, 2018 में प्रस्तावित भेड़–बकरी स्वयंवर के आयोजन जिसमें बोर्ड द्वारा प्रायोजक के रूप में प्रतिभाग किया जाना स्वीकृत है, के साथ–साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसका अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

4. भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (SWIS)

- भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 05 रैम रेजिंग यूनिट कोपड़धार–टिहरी, बंगाली–चमोली, डुण्डा–उत्तरकाशी, पांगू–पिथौरागढ एवं शामालीती–बागेश्वर में स्थापित है, जिनके माध्यम से 815 मेढ़ें राज्य के विभिन्न जनपदों एवं राज्य के बाहर वितरित किये गये है। अवगत कराया गया कि वर्ष 2016–17 में कर्नाटक शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 द्वारा 245 मेढ़े प्राप्त किये थे। इस वर्ष 2017–18 में भी हिमाचल प्रदेश से 500 मेढ़े तथा मध्य प्रदेश राज्य से 160 मेढ़ों की मॉग प्राप्त हुई है, जिसकी पूर्ति राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों से उत्पन्न मेढ़ों एवं भेड़पालकों के उन्नतशील मेढ़ों से की जानी प्रस्तावित हैं जिसका अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।

- निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मेढ़ों की मुख्य पशुचित्सिा अधिकारियों से प्राप्त मॉग की पूर्ति करने के उपरान्त ही शेष मेढ़े अन्य राज्यों को उपलब्ध कराये जाय।

(कार्यवाहीः समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

- केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार जोधपुर–राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय भेड़पालक बीमा योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत केन्द्रांश रू0 162.00, भारतीय जीवन बीमा निगम का अंश रू0 100.00 तथा भेड़पालक अंश रू0 80.00 निर्धारित किया गया है।
- दिनॉक 19 अगस्त 2017 को आयोजित गवर्निंग बॉडी में मा0 पशुपालन मंत्री जी/अध्यक्ष, गवर्निंग बॉडी द्वारा निर्देशित किया गया था कि योजना के प्रथम वर्ष में भेड़पालकों के प्रीमियम की धनराशि उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा वहन की जाय तथा तद्परान्त आगामी वर्षो की प्रीमियम धनराशि भेड़पालकों के सम्बन्धित खाते से auto debit हो जाय।
- इस सम्बन्ध में सचिव महोदय द्वारा बीमा कम्पनी के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः भारतीय जीवन बीमा निगम/उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

5.एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)

- Providing Facilities to Shepherds for Wool & Livelihood Improvement by Machine Shearing, Treatment Camps & Establishment of Sheep Goat Paravet Centre योजनान्तर्गत 05 भेड़ बाहुल्य जनपदों उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में स्थापित 06 भेड़–बकरी पैरावेट केन्द्रों द्वारा भेड़पालकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधा–चिकित्सा, टीकाकरण, दवास्नान, दवापान, चिकित्सा/ऊन कतरन शिविरों के प्रगति के कार्यो पर सन्तोष व्यक्त किया गया।
- एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना को 68 भेड़–बकरी पैरावेट/ऊन शियरर की नई योजना रू0 746.51 लाख की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है जिसका अनुमोदन अधिशासी कमेटी द्वारा किया गया।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6. महिला बकरी पालन योजना

महिला बकरी पालन योजना पर चर्चा करते हुए मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि–

- राज्य में महिलाओं के हितार्थ परित्यक्ता महिला, विधवा महिला, निराश्रित महिला, दिव्यांग महिला, अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभावित महिलाओं हेतु संचालित बकरी पालन योजना प्रथम चरण में आपदा प्रभावित जनपदों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं बागेश्वर में संचालित की जा रही है।
- योजनान्तर्गत उक्त 05 जनपदों की कुल 120 बकरीपालक महिलाओं (प्रत्येक जनपद हेतु 24 का लक्ष्य निर्धारित कर) महिलाओं को प्रत्येक जनपद में 24–24 (3मादा +1नर) कुल 120 बकरी इकाईयों की स्थापना की गई।

- वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत शेष 08 जनपदों हेतु रू0 30.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसके अन्तर्गत 75 इकाईयों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में 42 बकरी इकाईयों की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है।
- सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि स्थापित इकाईयों की "**सफलता की कहानी**" सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों प्राप्त कर ली जाय।

(कार्यवाहीः समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी उत्तराखण्ड / उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

7. नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (NLM)

इस योजना के अन्तर्गत भेड़–बकरीपालकों की भेड़ एवं बकरी की दुर्घटना से मृत्यु एवं अन्य अप्रत्याशित क्षति से बचाने हेतु पशुधन बीमा कराया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ से वर्तमान तक कुल 8212 भेड़–बकरियों का बीमा किया गया। डा0 कमल सिंह, नोडल अधिकारी, NLM द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित बीमा कम्पनी एच0बी0आई0एन0 से नवीन अनुबन्ध के अन्तर्गत नई बीमा दरें निर्धारित की गई है। एक वर्ष के बीमा हेतु 3.01 प्रतिशत एवं तीन वर्ष के बीमा हेतु 8.04 प्रतिशत बीमा प्रीमियम निर्धारित है।

(कार्यवाहीः समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी उत्तराखण्ड / यू0एल0डी0बी0)

8.उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में संचालित योजनाओं की वित्तीय स्थिति

वर्ष 2017–18 में बोर्ड में संचालित योजनाओं की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करते हुए बोर्ड में संचालित योजनाओं की वित्तीय स्थिति का अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्राप्त बजट	व्यय	शेष
01	Central Wool Development Board (CWDB) – Sheep and wool improvement scheme (SWIS)	50.00	50.00	-
02	Central Wool Development Board (CWDB) – Organization of One Day Workshop for sheep and goat farmers	2.00	2.00	-
03	Central Wool Development Board (CWDB) – Organization of Sheep shows	3.50	3.50	-
04	Central Wool Development Board (CWDB) – Training of 58 Wool Shearers/Graders	2.90	1.80	1.10
05	Improving the livelihood of sheep/ goat breeders using 05 mobile veterinary van on migratory route (RKVY)	126.25	115.35	10.90
06	Integrated Livelihood Support Project (ILSP)	34.27	34.27	-
07	Mahila Bakri Palan Yojana (State Sector)	8.00	6.56	1.44
08	Pilot Project on Procurement and Marketing of Raw Wool in Uttarakhand (State Sector)	111.84	80.11	31.73

बिन्दु सं0 4: उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में प्रस्तावित नई योजनाओं एवं भावी रणनीति पर विचार

4.1 उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अन्तर्गत राजकीय भेड़/बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण के सम्बन्ध में

- राज्य के सीमान्त जनपदों में उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अन्तर्गत 14 राजकीय भेड़–बकरी, शशक प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं। प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रेषित किये गये हैं–

क्र0 सं0	राजकीय प्रक्षेत्र का नाम	वित्त पोषण हेतु योजना	धनराशि लाख रू0 में
1	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, थलकुण्डी, उत्तरकाशी	नाबार्ड	351.12
2	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, खलियाणबांगर, रूद्रप्रयाग	नाबार्ड	299.81
3	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, कोपड़धार, टिहरी	नाबार्ड	264.52
4	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, पीपलकोटी, चमोली	RKVY	250.06
5	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, केदारकांठा, चमोली	RKVY	249.08
6	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, डुण्डा, उत्तरकाशी	RKVY	258.46
7	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, बंगाली, चमोली	NLM	229.12
8	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, पांगू, पिथौरागढ	NLM	223.29

- अवगत कराया गया कि थलकुण्डी, खलियाणबांगर एवं कोपड़धार प्रक्षेत्रों के प्रस्ताव NLM योजना में भी प्रस्तुत किये गये हैं। नाबार्ड योजना में स्वीकृति प्राप्त होने पर NLM योजना से प्रस्ताव हटा दिये जाएँगे।
- अधिशासी कमेटी द्वारा प्रेषित योजनाओं का अनुमोदन किया गया।
- सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत लगभग 150-200 करोड़ रूपये शेष हैं, जिसमें उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा राजकीय भेड़–बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की योजना प्रेषित की जा सकती है।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

4.2 केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड को प्रेषित योजना

- मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि Wool Marketing Scheme के अन्तर्गत ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय–विक्रय केन्द्र, मुनि की रेती को केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के निर्देशों के क्रम में ऊन मण्डी के रूप में विकसित करने की कार्यवाही गतिमान है।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

4.3 Project on Natural fibre (Wool and Hair) (under Externally Aided Programme-EAP) for Sustainable Livelihood Development of Shepherds of Uttarkhand के सम्बन्ध में

- अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से सम्मिलित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित है।
- सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित योजना में नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुमायूँ मण्डल के विकासखण्ड कपकोट–बागेश्वर एवं गढ़वाल मण्डल के विकासखण्ड भटवाड़ी–उत्तरकाशी में भेड़ों में ब्रीड रिप्लेसमेण्ट की योजना सम्मिलित की जाय।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

4.4 उत्तराखण्ड भेड़, बकरी, शशक पालक कोऑपरेटिव फेडरेशन लि0 के गठन के सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड भेड़–बकरी शशक पालक कोऑपरेटिव फोडरेशन लि0 के गठन के आदर्श उपविधियों का ड्राफ्ट नोट तैयार कर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

(कार्यवाहीः निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड)

4.5 जनपदीय भेड़, बकरी, शशक पालक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव लि0 के गठन की प्रगति पर चर्चा

जनपदीय स्तर पर गठित की जाने वाली भेड़–बकरी, शशक पालक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव लि0 के गठन के सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि Bylaws सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दिये गये है। इस सम्बन्ध में कोऑपरेटिव के नोडल अधिकारी श्री आनन्द शुक्ल, द्वारा पुनः सेन्ट्रल कोऑपरेटिव लि0 के गठन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कोऑपरेटिव को 11 सदस्यों के पंजीकरण से प्रारम्भ किया जा सकता है। साथ ही यदि सम्बन्धित जनपद अपनी पत्रावलियॉ उन्हें उपलब्ध करवा दें तो वे समितियों के पंजीकरण की कार्यवाही अल्मोड़ा के स्थान पर देहरादून में ही पूर्ण हो सकती है।

सचिव महोदय द्वारा समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को 07 दिसम्बर 2017 तक जनपदीय भेड़, बकरी, शशक पालक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव लि0 के गठन के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाहीः समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी उत्तराखण्ड/ उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड)

4.6 उत्तराखण्ड राज्य में अत्याधुनिक वधालय को स्थापित करने के उद्देश्य से एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अधिकारियों द्वारा केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब एवं तेलंगाना राज्यों में स्थापित लघु पशु मॉडर्न abattoir के भ्रमण के सम्बन्ध में अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

बिन्दु सं0 5: बोर्ड के ढॉचे एवं कार्मिकों के सम्बन्ध में विचार विमर्श

- शासनादेश संख्या 56 दिनांक दिनांक 19 जनवरी, 2004 के द्वारा पशुपालन विभाग की भेड़, बकरी, शशक, ऊन एवं प्रयोगशाला से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं को उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में स्थानान्तरित किया गया है, एवं शासनादेश संख्या 1031 दिनॉक 22 दिसम्बर 2016 के द्वारा उक्त संस्थाओं के 216 पदों को भी उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में स्थानान्तरित किया गया है। परन्तु शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही अपेक्षित है।
- निदेशक, पशुपालन द्वारा अवगत कराया गया कि दिनॉक 07.04.2017 को सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में शासनादेश के कियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को देखते हुए 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
- सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शासनादेशों के अनुरूप व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार कर शीघ्रातिशीघ्र शासन को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाहीः निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड)

बिन्दु सं0 6: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

6.1 मोबाईल डीपिंग टैंक क्रय करने के सम्बन्ध में

सीमान्त एवं पिछड़ा विकास निधि के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में भेड़–बकरियों को वाहय परजीवियों से बचाव हेतु दवास्नान के लिए डिपिंग टैंक क्रय किये जाने हेतु निविदा समिति द्वारा ई0 टेण्डरिंग के माध्यम से वित्तीय बिड खोले जाने से पूर्व 02 बार निविदा आमन्त्रण के पश्चात् भी मात्र 01 निविदा प्राप्त होने के कारण सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन से स्वीकृति उपरान्त वित्तीय बिड खोले जाने का अनुमोदन अधिशासी कमेटी द्वारा किया गया।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6.2 उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा संचालित ''राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना'' के अन्तर्गत कच्ची ऊन के ढुलान, पशुधन ढुलान, चारा एवं आहार ढुलान हेतु DGS &D दरों पर क्रय किये गये मैसर्स टाटा मोटर्स लि0 की ट्रक मॉडल LPT 909BS IV एवं ट्रक के संचालन हेतु एक वाहन चालक, एक परिचालक एवं एक चतुर्थ श्रेणी प्रान्तीय रक्षक दल/आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से रखने तथा उनसे सम्बन्धित भुगतान बोर्ड की प्राप्तियों/राज्य सेक्टर से किया जाने का अनुमोदन अधिशासी कमेटी द्वारा किया गया।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6.3 भेड़–बकरी पालकों के चरान–चुगान के परमिट के सम्बन्ध में

भेड़–बकरी पालकों को चरान–चुगान परमिट दिलाये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श उपरान्त निर्देशित किया गया कि वन विभाग एवं पशुपालन विभाग की संयुक्त बैठक के आयोजन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6.4 जनपदों में तैनात पशुचिकित्सा अधिकारी (भेड़) एवं प्रभारी एवं पशुचिकित्सा अधिकारी, राजकीय भेड़–बकरी एवं शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों का नियंत्रण उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड को किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श

विषय पर चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया किः–

- पशु चिकित्सा अधिकारी (भेड़) तथा प्रभारी/पशुचिकित्सा अधिकारी, राजकीय भेड़/बकरी शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों के कार्यो की समीक्षा प्रत्येक माह जनपद स्तर पर मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/जनपदीय प्रबन्धक यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 के स्तर पर।
- मण्डल स्तर पर प्रत्येक माह परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊॅ मण्डल, नैनीताल द्वारा समीक्षा की जाय।
- प्रत्येक माह समीक्षा रिपोर्ट उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड को प्रेषित की जाय।
- प्रत्येक त्रैमास पर उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा मुख्यालय पर कार्यो की समीक्षा की जाय।

(कार्यवाहीः सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/ परियोजना निदेशक लघु पशु/ उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6.5 बैठक में अवगत कराया गया कि राजकीय अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, ग्वालदम, जनपद चमोली के लिए 60 अंगोरा बकरियां (50 मादा + 10 नर) भेड़पालन विभाग लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से प्राप्त कर प्रक्षेत्र पर व्यवस्थित की जा रही हैं।

- सचिव, महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रक्षेत्र पर पूर्व से व्यवस्थित बकरियों को selection, segregation and culling करते हुए हटाया जाय। ग्वालदम प्रक्षेत्र के क्षेत्र

प्रसार अधिकारी श्री नेगी के अवगत कराये जाने पर प्रक्षेत्र पर अन्तः प्रजनन रोकने हेतु लगभग 25 नर बकरों को तत्काल बकरी पालकों को वितरित किये जाने का अनुमोदन अधिशासी कमेटी द्वारा किया गया।

(कार्यवाहीः सम्बन्धित प्रक्षेत्र प्रभारी/सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/ उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6.6 राजकीय वाहन संख्या UA07P7844 के सम्बन्ध में

बोर्ड द्वारा वर्ष 2006 में राजकीय वाहन बोलेरो क्रय की गयी थी जो वर्तमान तक 2 लाख कि0मी0 से अधिक चल चुकी है। वाहन के मरम्मत एवं रख–रखाव पर कीमत के 60 प्रतिशत से अधिक का व्यय हो चुका है परन्तु वाहन अभी भी उपयोगी है। वाहन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन विभाग के fitness certificate के आधार पर वाहन संचालन की निरन्तरता रखे जाने का अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6.7 सचिव, पशुपालन द्वारा निर्देशित किया गया कि नये प्रक्षेत्र प्रभारियों को केन्द्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान, अविकानगर में दिनांक 15–21 दिसम्बर, 2017 तक भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान के प्रशिक्षण हेतु भेजा जाय। **(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)**

6.8 केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भेड़पालक परिवारों की महिलाओं हेतु 01 शौचालय के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

कार्यवाहीः सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी)

6.9 राजकीय भेड़, बकरी एवं शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों की संख्या को सीमित किये जाने के सम्बन्ध में

सचिव, पशुपालन द्वारा प्रक्षेत्रों की समीक्षा में निर्देशित किया कि प्रक्षेत्रों के सफल संचालन, प्रबन्धन एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रक्षेत्रों की संख्या को सीमित करते हुए मात्र 04 गढ़वाल मण्डल एवं 04 कुमायूँ मण्डल में प्रक्षेत्र संचालित किये जायं। अन्य प्रक्षेत्रों पर सघन चारा विकास कार्यक्रम की योजना संचालित की जाय। इस उद्देश्य का सुस्पष्ट प्रस्ताव निदेशक, पशुपालन के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड/निदेशक, पशुपालन विभाग)

6.10 बोर्ड के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष एवं अधिशासी कमेटी के अध्यक्ष के सहयोगार्थ कार्मिकों की व्यवस्था एवं भुगतान बोर्ड की प्राप्तियों/राज्य सेक्टर से किये जाने का अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाहीःउत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6.11 प्रभारी, राजकीय भेड़, बकरी, शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों को आकस्मिक व्यय के लिए धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा प्रक्षेत्रों पर समय–समय पर होने वाले लघु मरम्मत कार्यों एवं अन्य आकस्मिक व्ययों (आहार एवं औषधि आदि) हेतु प्रभारी/पशुचिकित्सा अधिकारी, राजकीय भेड़, बकरी, शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों को प्रति प्रक्षेत्र रू0 25,000.00 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) अग्रिम रूप से बोर्ड की प्राप्तियों से उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव का अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया। उक्त धनराशि प्रक्षेत्र प्रभारियों द्वारा राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंकों के खाते में रखी जायेगी। किसी भी प्रकार के व्यय से पूर्व यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 से अनुमति प्राप्त कर प्रक्षेत्रों पर होने वाले आकस्मिक व्यय प्रभारी/पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6.12 भेड़–बकरी–शशक एवं ऊन से सम्बन्धित समस्त राजकीय संस्थाओं के प्रभारियों, पशुचिकित्सा अधिकारियों व अन्य कार्मिकों को उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के नियंत्रण में दिये जाने के सम्बन्ध में

शासनादेश संख्या 56 दिनॉक 19 जनवरी 2004 के द्वारा राज्य की समस्त राजकीय भेड़, बकरी, शशक, ऊन एवं प्रयोगशाला से सम्बन्धित संस्थाओं को एवं शासनादेश संख्या 1031 दिनॉक 22 दिसम्बर 2016 के द्वारा उपरोक्त संस्थाओं के स्वीकृत 216 पदों को उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में स्थानान्तरित किया गया है।

मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के प्रस्ताव प्रक्षेत्रों, संस्थाओं, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला के कार्यो के प्रभावी अनुश्रवण, पशुपालन विभाग/बोर्ड की भेड़, बकरी, शशक एवं ऊन से सम्बन्धित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, निष्पादन एवं अनुपालन हेतु उक्त संस्थाओं के समस्त पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपदीय पशुचिकित्सा अधिकारी (भेड़) एवं समस्त प्रभारी अधिकारी, योजनाओं के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं संस्थाओं की प्रगति से नियमित प्रत्येक माह उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे का, अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।

- प्रक्षेत्रों के पशुचिकित्सा अधिकारियों को अन्य संस्थाओं के कार्यभार से मुक्त रखे जाने के निर्देश सचिव, पशुपालन द्वारा दिये गये।

(कार्यवाहीः समस्त पशुचिकित्सा अधिकारी/प्रभारी, भेड़, बकरी, शशक एवं ऊन से सम्बन्धित राजकीय संस्थाएं/सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/ उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड/निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड)

6.13 राजकीय भेड़, बकरी, शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों पर उरेडा के माध्यम से विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

सचिव, पशुपालन द्वारा प्रक्षेत्रों पर विद्युत की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु उरेडा के माध्यम से सोलर पावर प्लान्ट लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6.14 राजकीय भेड़, बकरी, शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों हेतु Standard Operating Procedure [SOP] तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

सचिव, पशुपालन द्वारा निर्देशित किया गया कि राजकीय प्रक्षेत्रों पर भेड़, बकरी, शशक हेतु **standard feed formula and feeding schedule** तैयार किया जाय, साथ ही प्रत्येक प्रक्षेत्र की **SOP** तैयार कर बोर्ड के माध्यम से प्रक्षेत्रों पर दर्शायी जाय।

(कार्यवाहीः समस्त पशुचिकित्सा अधिकारी/प्रभारी, भेड़, बकरी, शशक एवं ऊन से सम्बन्धित राजकीय संस्थाएं/उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6.15 राजकीय भेड़, बकरी, शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों हेतु contractual attendents रखे जाने के सम्बन्ध में

प्रक्षेत्र प्रभारियों/पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रक्षेत्रों पर कार्मिकों एवं पशुधन सहायकों की कमी अवगत कराये जाने पर सचिव, पशुपालन द्वारा पशुधन की संख्या एवं कार्यो की आवश्यकता के अनुरूप contractual attendents रखे जाने का प्रस्ताव तैयार कर निविदा आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये। contractual attendents रखे जाने पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रक्षेत्रों की आय/बोर्ड की प्राप्तियों से किये जाने का अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6.16 Demonstration unit on Boer goats के सम्बन्ध में

उत्तराखण्ड में Boer goats जो अतिशीघ्र अत्यधिक वजन प्राप्त कर लेती है, की उपयोगिता, अनुकूलता की जांच करने हेतु Pilot project के रूप में एक प्रदर्शन इकाई (20+2) पशुलोक–ऋषिकेश स्थित पुराने शियरिंग शेड, स्टोर आदि का सुदृढ़ीकरण करते हुए उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा स्थापित किये जाने के निर्देश सचिव, पशुपालन द्वारा दिये गये।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड/ परियोजना निदेशक, पशुलोक प्रक्षेत्र/निदेशक, पशुपालन)

6.17 बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल के कार्यो के निष्पादन के सम्बन्ध में।

मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय–विक्रय केन्द्र मुनिकीरेती के प्रांगण में बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र प्रभारी अधिकारी के नियत्रंण में स्थापित है। परन्तु केन्द्र के प्रभारी अधिकारी का पशुचिकित्सक न होने के कारण बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र से भेड़–बकरियों की चिकित्सा, टीकाकरण, दवापान, दवास्नान आदि कार्य सम्पादित नहीं हो पा रहे हैं।

सचिव, पशुपालन द्वारा निर्देशित किया गया कि मुनिकीरेती प्रांगण में स्थित राजकीय पशुचिकित्सालय मुनिकीरेती के पशुचिकित्सा अधिकारी ही अपने कार्यो के साथ–साथ बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र मुनिकीरेती के कार्यो का निष्पादन सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः पशुचिकित्सा अधिकारी मुनिकीरेती/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, टिहरी/ उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड/निदेशक, पशुपालन)

6.18 दिनॉक 23–24 फरवरी 2018 को आयोजित होने वाले बकरी स्वयंवर के साथ–साथ उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में

मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2018 में दिनॉक 23–24 फरवरी 2018 को प्रस्तावित बकरी स्वयंवर के साथ–साथ ग्रीष्मकालीन प्रवास से पूर्व भेड़–बकरी पालकों के हितार्थ कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। कार्यशाला का आयोजन आलू फॉर्म, काणाताल–टिहरी गढ़वाल में प्रस्तावित है। बकरी स्वयंवर के प्रतिनिधि श्री प्रदीप पंवार द्वारा आयोजन की रूप–रेखा से अवगत कराया गया।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा आयोजन में प्रायोजक के रूप में प्रतिभाग किये जाने एवं कार्यशाला के आयोजन का अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

6.19 मनस्वी एग्रो फार्म, रूड़की के प्रतिनिधि श्री गोपाल जोशी ने रूड़की में स्थापित आधुनिक बकरी प्रक्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया। श्री जोशी द्वारा बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान, कॉम्पेक्ट फीड ब्लॉक एवं सहकारी संघ निर्माण के सम्बन्ध में चाही गयी जिज्ञासा का समाधान डा0 कमल सिंह, मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0 एवं श्री आनन्द ए0डी0 शुक्ला, उप निबन्धक, सहकारिता विभाग द्वारा किया गया।

बैठक के समापन में समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया गया।

Sd/-

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन/
अध्यक्ष, अधिशासी कमेटी,
यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड

''पशुधन भवन'' द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड,

पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115, 0135–2532926 फैक्स 0135–2532816

ceo.uswdb.uk@gov.in, ceo.uswdb@gmail.com, www.uswdbdehradun.in, www.uswdbwool.in

पत्रांक 1102 /बैठक/अधि0कमे0–यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0/2017–18 दिनॉकः 12 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि –निम्नांकित की सेवा में बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. बैठक में उपस्थित समस्त सदस्य।
2. समस्त प्रभारी/पशुचिकित्सा अधिकारी, राजकीय भेड़, बकरी एवं शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
3. पशुचिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशुचिकित्सालय–मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।
4. प्रभारी अधिकारी, ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय–विक्रय केन्द्र, मुनि की रेती–टिहरी गढ़वाल।
5. ऊन विश्लेषण अधिकारी, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, पशुलोक–ऋषिकेश।
6. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चम्पावत्, ऊधमसिंहनगर।
7. परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊॅ मण्डल, नैनीताल।
8. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक–ऋषिकेश।
9. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं फॉमर्स ओरिएन्टेशन, मक्कू–रूद्रप्रयाग।
10. वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पादन परिषद, देहरादून।
11. परियोजना निदेशक, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) देहरादून।
12. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
13. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
14. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून।
15. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊॅ मण्डल, नैनीताल।
16. निदेशक/संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दुर्गा भवन, कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।
19. निबन्धक, सहकारिता विभाग उत्तराखण्ड।
20. प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
21. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, सी–3, शास्त्रीनगर, जोधपुर–राजस्थान।
22. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन/उपाध्यक्ष, अधिशासी कमेटी, यू.एस.डब्ल्यू. डी.बी.।
23. प्रमुख निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।

(डा0 अविनाश आनन्द)
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0,
देहरादून

सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, अधिशासी कमेटी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून की अध्यक्षता में दिनॉक 22 नवम्बर, 2017 को आयोजित अधिशासी कमेटी की बैठक में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों

क्र. सं.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0
1.	डा0 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम	सचिव	पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	
2.	श्री बी.एम. मिश्र	अपर सचिव	पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	
3.	डा. एस.एस.बिष्ट	निदेशक,	पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	9412030763
4.	डा. के.के जोशी	अपर निदेशक	पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	9412017662
5.	डा0 कमल सिंह	मुख्य अधिशासी अधिकारी	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेण्ट बोर्ड, देहरादून	9412075669
6.	डा0 अविनाश आनन्द	मुख्य अधिशासी अधिकारी	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून	9358102780 9410546732
7.	श्रीमती पल्लवी गुप्ता	उप निदेशक	उद्योगनिदेशालय, उत्तराखण्ड	7300837740
8.	श्री एल.एम. श्रीवास्तव	उप महाप्रबन्धक	गढ़वाल मण्डल विकास निगम	9568006606
9.	श्री बी. एस. खत्री	संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रोमोद्योग बोर्ड, देहरादून	9412375474
10.	श्री आनन्द ए0 डी0 शुक्ल	उप निबन्धक	सहकारिता विभाग उत्तराखण्ड	9411162228
11.	डा0 आशीष रावत	परियोजना निदेशक	लघु पशु विकास, पौड़ी	9720161932
12.	डा0 देवन्द्र शर्मा	परियोजना निदेशक	भेड़ एवं फामर्स ओरिऐटेशन, मक्कू, रूद्रप्रयाग	8937001273
13.	डा0 रमेश सिंह नितवाल	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	रूद्रप्रयाग	9412017255
14.	डा0 ए. के. डिमरी	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	देहरादून	7351419500
15.	डा0 हिमांशु पाण्डेय	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	उत्तरकाशी	9412347924
16.	डा0 सत्यस्वरूप	संयुक्तनिदेशक	पशुपालन, निदेशालय, उत्तराखण्ड	9412918507
17.	डा0 डी.सी. गुरूरानी	संयुक्त निदेशक	पशुपालन, निदेशालय, उत्तराखण्ड	9837171446
18.	डा0 एस. के. बिंजौला	संयुक्त निदेशक	पशुपालन, निदेशालय, उत्तराखण्ड	9412984779
19.	डा0 जी.सी. बडथ्वाल	पशुचिकित्सा अधिकारी	रा0ब0प्र0प्रक्षेत्र, डुण्डा उत्तरकाशी	9411136153
20.	डा0 ए.एल. बिष्ट	अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास, बोर्ड, देहरादून।	8650076345
21.	डा0 चेतना धपोला	पशुचिकित्सा अधिकारी	पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड	9410369411
22.	डा0 डी.एस. मोलफा	पशुचिकित्सा अधिकारी	रा0प0चि0 घनसाली/कोपडधार, टिहरी गढ़वाल	9412018060
23.	डा0 राजीव कुमार	पशुचिकित्सा अधिकारी	रा0 भे0 प्र0 प्रक्षेत्र खलियाणबांगर, रूद्रप्रयाग	8192840562
24.	डा0 शैलेन्द्र वशिष्ठ	पशुचिकित्सा अधिकारी	पशुपालन, निदेशालय, उत्तराखण्ड	9412348748
25.	डा0 जगमोहन सिंह असवाल	पशुचिकित्सा अधिकारी	पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड	9412142970
26.	डा0 बृजेश रावत	पशुचिकित्सा अधिकारी	पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड	9410504249
27.	डा0 अशोक प्रहलाद रेड्डे	पशुचिकित्सा अधिकारी	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, थलकुण्डी, उत्तरकाशी	8126001680
28.	डा0 पूजा कुकरेती	उप प्रबन्धक	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड	8171016961
29.	डा0 सुवर्णा भोज	पशुचिकित्सा अधिकारी	शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, चम्पावत	7579228776
30.	डा0 सिद्धार्थ खत्री	पशुचिकित्सा अधिकारी	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, केदारकांठा, चमोली	8126155606
31.	डा0 नवनीत फोनिया	पशुचिकित्सा अधिकारी	बहुद्देशीय सेवा केन्द्र घाट, चमोली	9997326387
32.	डा0 गीता	पशुचिकित्सा अधिकारी	बहुद्देशीय सेवा केन्द्र भटवाड़ी, उत्तरकाशी	9412328143
33.	डा0 ज्योति पूना	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	बागेश्वर	7579400283
34.	डा0 पूजा जोशी	पशुचिकित्सा अधिकारी	रा0भे0प्र0 प्रक्षेत्र शामालीती, बागेश्वर	9456727321
35.	डा0 मेघा पंवार	पशुचिकित्साअधिकारी	रा0 भे0 प्र0 प्रक्षेत्र पीपलकोटी, चमोली	7579090638
36.	डा0 विजय कुमार	पशुचिकित्साअधिकारी	रा0भे0प्र0 प्रक्षेत्र कर्मी, बागेश्वर	7060745943
37.	डा0 रेनुका पांगती	पशुचिकित्सा अधिकारी	बहु0से0के0, धारचूला पिथौरागढ़	7579299096
38.	डा0 अंकित मलिक	पशुचिकित्सा अधिकारी	भेड़ एव फामर्स ओरिऐन्टेशन मक्कू, रूद्रप्रयाग	8979890900
39.	श्री सुरेश चन्द्र बाजपेयी	ऊन विश्लेषण अधिकारी	ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला पशुलोक–ऋषिकेश	9412937499
40.	श्री राजमोहन सिंह	पैरावेट	पैरावेट, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	7519119880

क्र. सं.	अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0
41.	श्री कुन्दन सिंह	पैरावेट	कपकोट, बागेश्वर	9536219463
42.	श्री गोपाल जोशी	मनस्वी एग्रो फार्म	रूड़की, हरिद्वार	9000373399
43.	श्री प्रदीप पंवार	ग्रीन पीपुल्स संस्था	पंतबाड़ी–टिहरी	9411188136
44.	श्री के. एन. सेमवाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	रा0भे0प्र0 प्रक्षेत्र कोपड़धार, टिहरी	8126883557
45.	श्री डी.एस. नेगी	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	रा0ब0प्र0 प्रेक्षत्र, ग्वालद्म, चमोली	8126883557
46.	श्री वी.के. रावत	चीफ वेटनरी फार्मेसिस्ट	जनपद–चमोली।	2639182378
47.	श्री हितेन्द्र यादव	प्रभारी अधिकारी	ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय–विक्रय केन्द्र, मुनि की रेती, टिहरी	9808601039
48.	श्री विजय कुमार नवानी	लेखाकार	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड	9710355760
49.	श्री रमेश चन्द्र भट्ट	पशुधन प्रसार अधिकारी	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड	9911186794
50.	श्रीमती अनुराधा	पशुधन प्रसार अधिकारी	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड	9410165825
51.	श्रीमती रश्मि रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड	9634766133
52.	श्रीमती इन्दु कोटनाला	प्रधान सहायक	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड	8979093927

*****

मैनुअल–2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

2.1 उत्तराखण्ड शासन के वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, पशुपालन विभाग से जारी शासनादेश सं056/XI/व.ग्रा.वि./प.पा./1050/यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./2003 देहरादून, दिनांक 19 जनवरी, 2004 के अनुरूप मार्ग निर्देश संख्या–2 के अनुसार उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड (परिषद्) के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार व दायित्व पूर्णतः मुख्य अधिशासी अधिकारी/सचिव परिषद् में निहित होंगे।

उत्तराखण्ड शासन के पशुपालन अनुभाग–1 शासनादेश संख्या 856/XV-1/2(90) /2005 देहरादून दिनांक 02 जून, 2006 के अनुरूप निम्न आठ दिशा–निर्देश सचिव, पशुपालन द्वारा दिये गये।

1. कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेंवलपमेन्ट बोर्ड का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य होगा।
2. कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेंवलपमेन्ट बोर्ड की वार्षिक सामान्य बैठक तथा बोर्ड की अन्य बैठकों की अध्यक्षता की जायेगी। अध्यक्ष/कार्यवाहक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
3. कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष परिषदों की बैठकों में प्रतिभाग कर परिषद के विकास कार्यो की समीक्षा करेगें तथा परिषद के माध्यम से तद्विषयक सुझाव शासन को उपलब्ध करायेगें।
4. परिषद के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार व दायित्व पूर्णतः मुख्य अधिशासी अधिकारी/सचिव परिषद् में निहित होंगे।
5. कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को परिषद से सम्बन्धित कार्यो हेतु यात्रा करने पर दैनिक भत्ता देय होगा।
6. परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व सदस्यों द्वारा परिषद की बैठक में भेड़ एवं अंगोरा शशक कार्यक्रमों से सम्बन्धित विषयों का एण्जेडा सम्मिलित किया जायेगा।
7. बैठकों के आयोजन पर होना वाला व्यय परिषद के आय–व्ययक के अन्य व्यय के मद से वहन किया जायेगा, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय हस्तपुस्तिका में निहित प्राविधानों तथा वित्त विभाग के समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।
1. परिषद की बैठकें मुख्य अधिशासी अधिकारी/सचिव, उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा आहूत की जायेगी। मुख्य अधिशासी अधिकारी/सचिव द्वारा सभी सदस्यों को सूचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्य अधिशासी अधिकारी/सचिव, उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड का दायित्व होगा कि वास्तविक सामान्य बैठक में भेड़/बकरी एवं अंगोरा शशक से सम्बन्धित विषयों को ही एजेण्डा में सम्मिलित किया जायेगा।

Sd/-
(श्री नवीन शर्मा)
सचिव
पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन

2.2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य– वर्तमान समय में उत्तरांखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड में कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा निम्न कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है।

पद का नाम	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य
कार्यकारी अध्यक्ष	––	––	अध्यक्ष की अनुपलब्धता में बोर्ड की कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश देना तथा विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करना।
उपाध्यक्ष	––	––	अध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष की अनुपलब्धता में बोर्ड की कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश देना तथा विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करना।
मुख्य अधिशासी अधिकारी	समस्त प्रशासनिक अधिकारों तथा दायित्वों का निर्वहन	भेड़ प्रक्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त वित्तीय अधिकारों तथा दायित्वों का निर्वहन	अध्यक्ष तथा अधिशासी कमेटी के निर्णयों के अनुरूप बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों का संचालन।
अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी	–	–	कार्यक्रम, क्रियान्वयन प्रशिक्षण प्रदान करना

पद का नाम	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य
संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी	–	–	कार्यक्रम, क्रियान्वयन प्रशिक्षण प्रदान करना
उप प्रबन्धक	–	–	कार्यक्रम, क्रियान्वयन प्रशिक्षण प्रदान करना
सहायक प्रबन्धक (वित्त)	–	–	बजट का सदुपयोग करना
वरिष्ठ सहायक	–	–	लेखा तथा कैशियर से सम्बन्धी कार्य
कनिष्ठ सहायक	–	–	स्थापना, सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य। डिस्पेच तथा रिसीप्ट आदि कार्य
पशुधन प्रसार अधिकारी	–	–	प्रशिक्षण/औषधि वितरण
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	–	–	चतुर्थ श्रेणी से सम्बन्धित कार्य

मैनुअल–3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं –

3.1– किसी विषय पर विनिश्चय करने की या निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया–वित्त हस्तपुस्तिका, विभागीय नियम एवं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 तथा केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों आदि के अर्न्तगत किया जाता है।

बोर्ड द्वारा भेड़ पालकों को दी जाने वाली सुविधायें :–

1–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम।
2–नस्ल सुधार कार्यक्रम।
3–उत्पादकता विकास कार्यक्रम।
4– भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाया जाना।
5– ऊन की ग्रेडिंग।
6– मशीन द्वारा ऊन कतरन।
7– उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में सहायता।
8– प्रशिक्षण कार्यक्रम।

उक्त सभी सुविधायें केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप सीधे बोर्ड द्वारा भेडपालकों से सम्पर्क कर एवं जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों के माध्यम से उनके अधिन कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

(क) पशुचिकित्सा अधिकारी– भेड़ पालकों को दी जाने वाली समस्त सुविधायें पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा उनके अधीन कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियो की सहायता से भेड़ पालकों की समस्याओं का समाधान किया जाता है।

(ख) विकास खण्ड स्तर पर पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1– ब्लाक स्तर पर पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1 द्वारा अपने अधीन पशुधन प्रसार अधिकारी के माध्यम से भेड़ पालकों को दी जाने वाली सुविधाओं के कार्यो की समीक्षा तथा समस्याओं का समाधान किया जाता है।

(ग) मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)– जनपद स्तर पर क्रियान्वित कार्यक्रमों की समीक्षा तथा समस्याओं का समाधान आदि।

(घ) मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)– राज्य स्तर पर क्रियान्वित कार्यक्रमों की समीक्षा, समस्याओं का निदान, नई रणनीति/योजनायें तैयार करना आदि।

लिये गये निर्णय को जनता तक पहुॅचाने की व्यवस्था– समाचार–पत्र, फैक्स, ई0मेल आदि द्वारा।

विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है –

निदेशक/अपर सचिव/सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।

अन्तिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकृत अधिकारी– सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य विषय जिस पर लोकप्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना है–

विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	विभागीय
दिशा निर्देश	शासनादेश संग्रह अनुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	उक्तानुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम–	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)/ मुख्य अधिशासी अधिकारी(संयुक्त निदेशक समकक्ष)/अपर निदेशक/निदेशक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	निदेशक, पशुपालन विभाग, देहरादून 0135–2532909 मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी., देहरादून, फोन– 0135–2532926 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), टिहरी फोन–01378–227296

	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), पौड़ी फोन– 01368– 223084 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), देहरादून 0135– 2712572 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), रूद्रप्रयाग 01364–233251 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), चमोली– 01372–252273 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), उत्तरकाशी 01374–222320 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), अल्मोडा 05962–232289 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), बागेश्वर 05963–221475 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), पिथौरागढ़ 05964–225319

3.2 अन्तिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी–
सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन

3.3 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना है –

विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	**राज्य स्तर पर**
दिशा निर्देश	शासनादेश संग्रह अनुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	उक्तानुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी. 0135–2532926 निदेशक, पशुपालन विभाग 0135–2532809 अपर सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन 0135–2712012

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड
प्रगति वर्ष 2017–18

क्र0 सं0	मद			वर्ष 2017–18 में			योजना प्रारम्भ से वर्तमान तक	
				वार्षिक लक्ष्य	माह में पूर्ति	क्रमिक	लक्ष्य	पूर्ति
1	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (CWDB) - भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (SWIS) (उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर)							
1.1	स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम							
	दवापान			2.50 लाख भेड़	29300	190669	-	987450
	दवास्नान				28357	171951		931923
	टीकाकरण				10245	43278		416342
	चिकित्सा				10439	50047		343433
1.2	नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 रैम रेंजिग यूनिटों के द्वारा वितरित मेढ़ों की संख्या							
	हरिद्वार				-	-	-	10
	देहरादून				-	-	-	14
	उत्तरकाशी				-	11	-	215
	बागेश्वर				-	-	-	44
	टिहरी (मेढ़ा/भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र)				-	-	-	79
	रूद्रप्रयाग (हिमोत्थान संस्था)				10	10	-	29
	पिथौरागढ़				27	27	-	87
	चमोली				-	-	-	47
	नैनीताल (आई0वी0आर0आई0–मुक्तेश्वर)				-	-	-	25
	राज्य से बाहर	कर्नाटक			-	-	-	245
		हिमाचल प्रदेश			253	310	-	310
	योग				**290**	**358**	**-**	**1105**
2.	**केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (CWDB) के तत्वाधान में शियरिंग मशीन द्वारा ऊन शियरर प्रशिक्षण**				-	**18**	-	**39**
3.	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (CWDB)							

3.3	**भेड़ प्रदर्शनी शिविर की संख्या**		चमोली	उत्तरकाशी	रूद्रप्रयाग	बागेश्वर	पिथौरागढ़	मासिक	क्रमिक	लक्ष्य	योजना प्रारम्भ से वर्तमान तक
			02	**05**	**01**	**01**	**02**				
	शिविरों में वितरित सामग्री	स्लीपिंग बैग	06	15	03	03	06	09	33	-	33
		प्रेशर कुकर	06	15	03	03	06	09	33	-	33
		पॉचू/रेनकोट	06	15	03	03	06	09	33	-	33

क्र0 सं0	मद		वर्ष 2017–18 में			योजना प्रारम्भ से वर्तमान तक	
			वार्षिक लक्ष्य	माह में पूर्ति	क्रमिक	लक्ष्य	पूर्ति
4.	अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना						
4.1	भेड़–बकरी इकाईयों की स्थापना (10+1) (राज्य सेक्टर)		196	-	196	796	796
4.2	बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा शिविरों व गोष्ठियों का आयोजन (RKVY)		-	-	-	570	570
4.3	भेड़ एवं बकरी पालकों को प्रवर्जन मार्गो पर अतिरिक्त सुविधाओं में एल्पाईन टैन्ट/मैटरस का वितरण (RKVY)	टैन्ट	-	-	-	-	914
		मैट्रस	-	-	-	-	2708
4.4	भेड़ एवं बकरी पालकों की कौशल वृद्वि (RKVY)						
	एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन		-	-	-	30	30
	अध्ययन भ्रमण/एक्सपोजर विजिट (लाभार्थी)		-	-	26	130	156
5.	पशुधन बीमा योजना (NLM)– बीमित भेड़–बकरी		-	428	1502	-	9215
6.	एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)						
6.1	**भेड़–बकरी पैरावेट केन्द्रों की स्थापना (कपकोट, मुनस्यारी, पुरोला, भटवाड़ी, जोशीमठ, भिलगंना)**		-	-	-	**06**	**06**
	भेड़पालक सर्वे		-	15	313	2000	1566
	चिकित्सा		-	552	742	-	1413
	टीकाकरण		-	198	1462	-	6490
	दवास्नान		-	03	1077	-	7195
	दवापान		-	77	1914	-	5899
6.2	चिकित्सा शिविर		28	-	24	50	43
6.3	मशीन ऊन कतरन शिविर		-	-	31	20	60
6.4	भेड़ प्रदर्शनी		-	-	11	-	20
6.5	मशीन ऊन कतरन में भेड़पालकों को प्रशिक्षण		-	-	-	100	149
6.6	भेड़ प्रदर्शनी– टैन्ट वितरण		-	-	11	-	72
6.7	एक दिवसीय कार्यशाला (05.03.2016 एवं 08.03. 2017) भेड़ प्रदर्शनी (21.08.2017 से 05.11.2017)	मेड़िसिन (किट बैंग)	-	-	-	-	221
		तिरपाल	-	-	-	-	221
		सोलर लालटेन	-	-	-	-	36
		टॉर्च	-	-	156	-	527
7.	महिला बकरी पालन योजना (राज्य सेक्टर)						
7.1	बकरी इकाईयों की स्थापना (3+1)		75	-	42	195	162

क्र0 सं0	मद	वर्ष 2017–18 में			योजना प्रारम्भ से वर्तमान तक	
		वार्षिक लक्ष्य	माह में पूर्ति	क्रमिक	लक्ष्य	पूर्ति
8.	**राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना (राज्य सेक्टर)**					
8.1	मशीन द्वारा ऊन कतरन शिविरों का आयोजन					
	शिविरों की संख्या	-	-	31	-	31
	लाभान्वित भेड़पालकों की संख्या	-	-	608	-	608
	शियरिंग की गयी भेड़ों की संख्या	-	-	4407	-	4407
	उत्पादित ऊन की मात्रा (कि0ग्रा0 में)	-	-	6211	-	6211
8.2	ऊन शियररों का प्रशिक्षण	-	-	39	-	39
8.3	क्रय की गयी कच्ची ऊन का विवरण (कि0ग्रा0 में)	40000	3000	14111	40000	14111
8.4	प्रयोगशाला जांच की गयी ऊन का विवरण					
	ऊन के नमूनों की संख्या	-	115	244	-	244
8.5	ऊन ग्रेडिंग का विवरण					
	ऊन ग्रेडिंग (कि0ग्रा0 में)	-	4507	9990	-	9990
	बेल्स का निर्माण (संख्या में)	-	-	90	-	90
8.6	विक्रय की गयी ऊन का विवरण (कि0ग्रा0 में)	-	6481	7681	-	7681
8.7	अवशेष ऊन का विवरण (कि0ग्रा0 में)	-	6223	6223	-	6223
8.8	चिकित्सा शिविरों की संख्या	-	-	24	-	24

9. ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला पर संचित/ विश्लेषण नमूनों का विवरण, माह – मार्च, 2018

कुल वार्षिक लक्ष्य	राजकीय भेड़ फार्म				स्थानीय क्षेत्र				कुल योग (राजकीय+स्थानीय)	
	संचित		विश्लेषित		संचित		विश्लेषित			
	माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक	संचित	विश्लेषित
750	–	1006	20	203	–	997	39	656	2003	859

10. पांच सचल पशुचिकित्सा वाहनों की प्रगति (RKVY) माहः मार्च, वर्ष 2017–18

क्र. सं.	मद	पिथौरागढ़		बागेश्वर		उत्तरकाशी		चमोली		टिहरी		योग		योजना के प्रारम्भ से
		मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	
1	शिविरों की संख्या	16	75	44	114	76	158	2	75	22	96	160	518	1441
2	लाभान्वित पशुपालक	288	1332	722	2143	1300	3100	102	1267	224	1484	2636	9326	24259
3	लाभान्वित पशु	2845	11425	2424	8377	10407	15975	214	10436	3178	16610	19068	62823	182331
4	चिकित्सा	463	3147	719	1908	1730	3832	204	2110	1309	5426	4425	16423	46141
5	टीकाकरण	-	-	-	-	-	-	-	200	-	1534	-	1734	19483
6	बधियाकरण	-	-	-	26	9	31	-	-	5	75	14	132	621
7	दवापान	1209	4812	1020	4333	4723	7686	-	4972	1600	6300	8552	28103	79259
8	दवास्नान	1175	3400	1170	4440	3346	5884	-	4262	2350	11400	8041	29386	77999
9	कृत्रिम गर्भाधान	-	51	17	22	6	11	-	-	7	14	30	98	228
10	प्रयोगशाला जॉच	-	0	13	67	-	2	-	-	-	30	13	99	347
11	प्राप्त शुल्क रू0 में	7039	30179	7680	20930	26100	46503	1610	21513	10935	48113	53364	167238	454631

मैनुअल–4

कृत्यों के निर्वहन हेतु स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

4.1 –कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम–

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के वर्ष 2017–18 के मुख्य कार्य

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम [NCDC]

1. राज्य में प्रथम बार त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे के अन्तर्गत सहकारी समितियों का गठन।
2. राज्य के 10,000 (5000 महिलाएं) भेड़–बकरी पालकों को संगठित करते हुए किसानों की आय दोगुनी करने एवं उत्पादों की समुचित विपणन के उद्देश्य से योजना की परिकल्पना एवं विस्तृत प्रोजेक्ट के निर्माण की कार्यवाही।

नाबार्ड–आर0आई0डी0एफ0 योजना

1. राज्य में प्रथम बार नाबार्ड–आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत पशुपालन विभाग को राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र थलकुण्डी (उत्तरकाशी), कोपड़धार (टिहरी गढ़वाल) एवं खलियानबांगर (रूद्रप्रयाग) के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना स्वीकृत की गयी है।
2. योजना की अनुमानित स्वीकृत लागत रू0 9.00 करोड़ है।

मोबाईल जेट स्प्रे मशीन

1. राज्य के घुमन्तू भेड़–बकरी पालकों की भेड़–बकरियों के बाह्य परजीवी की रोकथाम हेतु प्रथम बार न्यूजीलैण्ड से आयातित मोबाईल जेट स्प्रे मशीन को राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पांगू, पिथौरागढ़ में उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा विकास निधि के अन्तर्गत व्यवस्थित किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

1. योजनान्तर्गत राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पीपलकोटी, केदारकांठा (चमोली) एवं राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र डुण्डा (उत्तरकाशी) के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना स्वीकृत की गयी है। योजना की अनुमानित स्वीकृत लागत रू0 7.00 करोड़ है।
2. अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना के अन्तर्गत प्रति विकासखण्ड 02 बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
3. प्रवर्जन मार्गो हेतु भेड़पालकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पांच सुसज्जित मोबाईल वेटरिनरी वैन के क्रियान्वयन एवं सफल संचालन कराया गया।
4. अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 हेतु रू0 100.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कराई गई।
5. अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना के अन्तर्गत 26 भेड़–बकरी पालकों का केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान [CSWRI] अविकानगर, राजस्थान में अध्ययन भ्रमण कराया गया।
6. योजना से सम्बन्धित सूचनाओं को RKVY MIS में upload कराया गया।

विश्व बैंक योजना

1. सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम [MSME] के अन्तर्गत बाह्य सहायतित योजना [EAP] में Natural fibre (Wool and Hair) के Sustainable Livelihood Development of Shepherds of Uttarakhand, Breed improvement through breed replacement की परियोजना उद्योग विभाग उत्तराखण्ड के माध्यम से विश्व बैंक को प्रेषित की गयी है।

Pilot project on Boer Goat

1. बोएर बकरी एवं अन्य उन्नत नस्ल की भेड़–बकरी की प्रदर्शन इकाई की स्थापना पशुलोक–ऋषिकेश में की जा रही है।

राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना

1. योजनान्तर्गत भेड़–बकरी बाहुल्य क्षेत्रों पिथौरागढ, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, देहरादून एवं टिहरी में 31 मशीन ऊन कतरन शिविरों एवं पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कराया गया तथा शिविरों में भेड़–बकरी पालकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करायी गयी।
2. वर्ष 2017–18 में राज्य में उत्पादित लगभग 141 कु0 कच्ची ऊन का क्रय किया गया।
3. राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना के अन्तर्गत ऊन ढुलान हेतु एक वाहन का क्रय किया गया। साथ ही ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केन्द्र मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल का सुदृढ़ीकरण किया गया।

मशीन ऊन कतरन एवं पशुचिकित्सा शिविरों का आयोजन

24 मशीन ऊन कतरन एवं पशुचिकित्सा शिविरों का आयोजन भेड़–बकरी बाहुल्य क्षेत्रों में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, देहरादून एवं टिहरी में किया गया।

भेड़ प्रदर्शनी

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त पोषण से 11 भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, एवं रूद्रप्रयाग में किया गया।

प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट

1. अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना [RKVY] के अन्तर्गत 26 भेड़–बकरी पालकों को केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान में वैज्ञानिक विधि से भेड़–बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया गया।
2. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र हिसार, हरियाणा द्वारा 18 भेड़पालकों को ऊन शियरर का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
3. 04 नवनियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारियों को भेड़–बकरी पालन के प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान में सम्पन्न कराया गया।
4. केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान में 04 पशुचिकित्सा अधिकारियों को भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया गया।

मेढ़ा वितरण

राज्य के भेड़पालकों को उन्नतशील मेढ़ों का वितरण एवं उत्तराखण्ड के राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षत्रों से उत्पन्न 310 मेढ़ें पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश को नस्ल सुधार हेतु वितरित किये गये।

लेह–लद्दाख से अंगोरा बकरियों का क्रय

1. राजकीय अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र लेह–लद्दाख से 60 अंगोरा बकरियों का क्रय कर राजकीय अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ग्वालदम चमोली में व्यवस्थित किया गया।
2. वर्ष 1960 के बाद अंगोरा बकरियां प्रक्षेत्र पर परिवर्तित की गयी।

राष्ट्रीय प्रदर्शनी

1. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में अहमदाबाद में Textiles India 2017, 30 जून–02 जुलाई, 2017 का आयोजन
2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03–05 नवम्बर, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अर्न्तराष्ट्रीय "World Food India 2017" का आयोजन।
3. कृषि उन्नति मेला 2018 में नई दिल्ली में दिनांक 16–18 मार्च, 2018 का आयोजन।

केन्द्रीय ऊन विकास बार्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

1. भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (SWIS) के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में राज्य के 08 भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ों में दवापान, दवास्नान, टीकाकरण एवं चिकित्सा आदि कार्य किये गये।
2. भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (SWIS) के अन्तर्गत नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य एवं राज्य से बाहर, पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश को 323 उच्च गुणवत्ता के मेढ़ों का वितरण रैम रेंजिग यूनिट एवं राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों के माध्यम से किया गया।
3. मशीन द्वारा ऊन कतरन प्रशिक्षण में 18 ऊन शियररों को केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान एवं बीकानेर में प्रशिक्षण दिया गया।
4. योजनान्तर्गत 11 भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन भेड़ बाहुल्य दुर्गम क्षेत्रों में (चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर) किया गया जिसमें भेड़पालकों को पुरस्कार के रूप में प्रेशर कुकर, रेन कोट, स्लीपिंग बैग आदि वितरित किये गये।
5. वर्ष 2017–18 हेतु भेड़पालकों के हितार्थ वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये।

अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना (राज्य सेक्टर)

1. वर्ष 2017–18 में 196 भेड़–बकरी इकाईयों की स्थापना की गई।
2. बोर्ड की Website www.uswdbdehradun.in पर लगभग 3400 भेड़–बकरी पालकों का online पंजीकरण कराया गया।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP-IFAD)

1. योजना के अन्तर्गत भेड़पालकों के मध्य राज्य के भेड़ बाहुल्य दुर्गम क्षेत्रों में 11 भेड़ प्रदर्शिनियों में पुरस्कार के रूप में टेन्ट, टोर्च आदि भेड़पालकों को वितरित कराई गई।
2. वर्ष 2017–18 में शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान 31 मशीन ऊन कतरन शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 132 भेड़पालकों की 4302 भेड़ों का मशीन द्वारा ऊन कतरन किया गया।
3. भेड़पालकों के हितार्थ 18 चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।
4. योजनान्तर्गत मशीन ऊन कतरन, चिकित्सा शिविरों एवं भेड़ प्रदर्शनी से सम्बन्धित समस्त विवरण ILSP के MIS में upload कराये गये।

महिला बकरी पालन योजना

वर्ष 2017–18 में 85 बकरी इकाईयों की स्थापना की गई है।

SECURE Himalaya

Securing Livelihoods, Conservation, Sustainable use and Restoration of High Range Himalayan Ecosystems (SECURE) through Alpine Grassland and Livestock Management योजना स्वीकृति हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड को प्रेषित की गई।

ऊन की दरों का निर्धारण

ऊन उत्पादकों एवं ऊन क्रेताओं के मध्य राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक में वर्ष 2017–18 की कच्ची ऊन की दरों का निर्धारण किया गया।

मैनुअल–5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

5– अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख–

लोक प्राधिकरण तथा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूची–

(प्रथम)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	**अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी**
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो भाग–दो–चार	नियम/विनियम
नियम/विनियम	स्थापना, अवकाश प्रकरण, वेतन निर्धारण, आदि से सम्बन्धित नियम
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1– मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)सम्बन्धित जनपद 2– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल 3– अपर निदेशक पशुधन कार्यालय गोपेश्वर चमोली। 4–निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	––

(द्वितीय)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	**अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी**
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–तीन	नियम/विनियम
नियम/विनियम	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)सम्बन्धित जनपद 2– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल 3– अपर निदेशक पशुधन कार्यालय गोपेश्वर चमोली। 4–निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	––

(तृतीय)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी
वित्त नियम संग्रह खण्ड–पांच	नियम/विनियम
नियम/विनियम	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)सम्बन्धित जनपद 2– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल 3– अपर निदेशक पशुधन कार्यालय गोपेश्वर चमोली। 4–निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	––

(चतुर्थ)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी
पशुपालन विभाग की नियमावली	नियम/विनियम
नियम/विनियम	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)सम्बन्धित जनपद 2– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल 3– अपर निदेशक पशुधन कार्यालय गोपेश्वर चमोली। 4–निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	––

(पंचम)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी
उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड से सम्बन्धित शासनादेशों का संकलन	बोर्ड के स्थापना के बाद जारी शासनादेशों का संग्रह
नियम/विनियम	स्थापना/लेखा/बजट/यात्रा भत्ता इत्यादि से सम्बन्धित विषय।
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1– मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), उत्तरखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून 2– सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	––

संख्या 3484 पत्रावली सं0–19539D दिनांक 28.01.2014

उत्तराखण्ड शासन

सोसाईटी के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीनीकरण संख्या 340 / 2013–2014

फाईल संख्या 19539D

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड, पो0ओ0 मोथरोवाला देहरादून को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 731/2003-2004 दिनांक 31-Oct-13 को दिनांक 30-Oct-13 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया गया है

रू0 500.000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 26-Dec -13

Sd/-

सोसाइटी–रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड

वर्ष 2017–18 हेतु उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित ऊन की दरों के निर्धारण हेतु दिनांक 10.07.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 316/प.म.दु./पशुपालन/1050/2004 दिनांक 11 मई, 2004 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में ऊन दरों हेतु निम्नवत निर्धारित समिति की बैठक दिनांक 10.07.2017 को सिडकुल, आई0टी0 पार्क, देहरादून के सभागार में आयोजित की गयीः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
2. निदेशक, उद्योग विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून।

प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, उत्तराखण्ड शासन/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून के निर्देशों के क्रम में डा0 आर0 राजेश कुमार, IAS, अपर सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, उत्तराखण्ड शासन/ अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून ने बैठक की अध्यक्षता की।

ऊन की दरों के निर्धारण में पारदर्शिता, व्यवहारिकता एवं ऊन उत्पादक तथा ऊन क्रेता की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के सीमान्त जनपदों के भेड़पालक/ऊन उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि एवं राज्य तथा राज्य के बाहर से ऊन क्रेताओं को भी बैठक में निम्न विवरणानुसार आमंत्रित किया गयाः–

भेड़पालक/ऊन उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि

1. श्री रमेश चन्द्र फर्सवाण, सचिव, भेड़पालन कल्याण समिति, चमोली।
2. श्री बहादुर सिंह राणा, अध्यक्ष, भेड़पालन विकास समिति, मोरी, उत्तरकाशी।
3. श्री नारायण सिंह नेगी, अध्यक्ष, सीमान्त भेड़पालक संगठन, बगोरी–हर्षिल, उत्तरकाशी।
4. श्री बचन सिंह पंवार, ज्येष्ठ प्रमुख क्षेत्र पंचायत, मोरी, उत्तरकाशी।
5. श्री बचन सिंह रावत, अध्यक्ष, पर्वतीय भेड़पालक संघ, भिलगंना, टिहरी गढ़वाल।
6. श्री सोहन सिंह, ग्राम गेठांडा पो. कोटबांगर, जखोली, रूद्रप्रयाग।
7. श्री बलवन्त राम, ग्राम लीती पो. कपकोट, बागेश्वर।
8. श्री चन्द्र सिंह, अध्यक्ष, भेड़पालक समूह धापा, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।
9. श्री पूरन सिंह, अध्यक्ष, भेड़पालक समूह सुरिंग, मुनस्यारी, पिथौरागढ़

ऊन क्रेता

1. श्री सुशांतु मित्रा, मोजोपाण्डा एक्जिम प्रा. लि. गुड़गांव, हरियाणा।
2. श्री अमोल मिश्रा, कोटन कनेक्ट, गुड़गांव, हरियाणा।
3. श्री अतुल अग्रवाल, दून वैली निटिंग मिल्स, देहरादून।
4. श्री अनिल चन्दोला, भारतीय ग्रामोत्थान संस्था, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल।
5. श्री जगदीश पाल, सहारनपुर।
6. श्री राकेश पाल, सहारनपुर।

कार्यवृत्त

सर्वप्रथम मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून ने अध्यक्ष की अनुमति से प्रतिभागियों का परिचय प्राप्त करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रारम्भ की।

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य सरकार द्वारा नई स्वीकृत योजना ''राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना'' के अन्तर्गत उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड को भविष्य से ऊन क्रय एवं विपणन हेतु निर्धारित नोडल एजेन्सी, मशीन शियरिंग, कच्ची ऊन की सोर्टिंग, ग्रेडिंग प्रयोगशाला जांच, बेलिंग/पैकिंग एवं ''उत्तराखण्ड ऊन'' के ब्रॉण्ड से विपणन की तैयारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी।

जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित ऊन की दरों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जो निम्नवत हैंः–

कच्ची ऊन की दर रू0/कि0ग्रा0 में

ऊन की किस्में	जम्मू कश्मीर	हिमाचल प्रदेश	उत्तराखण्ड	ऊन मण्डी पानीपत की वर्तमान दरें
White Crossbred Wool	80.00	78.00	106.00	25.00-28.00
Spring Clip White Wool	60.00	37.20	95.00	15.00-18.00
Black	35.00	45.00	77.00	-
Skirt, Stain, Burr, Others	25.00	-	39.00/28.00	-

उपरोक्त तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखण्ड में ऊन की न्यूतनम दरें गत वर्षो में अत्यधिक रही हैं, जिस कारण राज्य में उत्पादित ऊन का विक्रय नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष द्वारा ऊन व्यवसायियों, ऊन उद्योग की आवश्यकता अनुरूप उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित कच्ची ऊन की गुणवत्ता के मानक [Quality Parameters of Raw Wool] निर्धारित करते हुए वर्ष 2017–18 हेतु ऊन की दरें तय करने हेतु निर्देशित किया गया।

तदोपरान्त ऊन उत्पादक एवं ऊन क्रेताओं के साथ विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत दरें निर्धारित की गयीः–

वर्ष 2017–18 हेतु उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित कच्ची ऊन की निर्धारित न्यूनतम दरें

S.No.	Quality Parameters of Raw Wool (कच्ची ऊन की गुणवत्ता के मानक)	Year 2017-18 Minimum Rates (Rs./kg)
	White Wool	
1	White Body Wool - Length 70 mm and above	
	Diameter - less than 20 µ	110.00
	Diameter - 20-22.5 µ	100.00
	Diameter - 22.5- 26 µ	85.00
	Diameter - 26-31 µ	60.00
2	White Body Wool - Length 60-70 mm	
	Diameter - less than 20 µ	90.00
	Diameter - 20-22.5 µ	85.00
	Diameter - 22.5- 26 µ	80.00
	Diameter - 26-31 µ	50.00
3	White Body Wool - Length Below 60 mm	
	Diameter - 20-24 µ	40.00
	Diameter - above 24 µ	30.00
4	White Skirt Wool	30.00
	Black / Brown/Grey Wool	
1	Black/Brown/Grey Body Wool - Length 70 mm	
	Diameter - less than 20 µ	65.00
	Diameter - 20-22.5 µ	60.00
	Diameter - 22.5- 26 µ	50.00
	Diameter - 26-31 µ	45.00
2	Black/Brown/Grey Body Wool - Length 60-70 mm	
	Diameter - less than 20 µ	55.00
	Diameter - 20-26 µ	50.00
	Diameter - 26-31 µ	45.00
3	Black/Brown/Grey Body Wool- Length Below 60 mm	
	Diameter - 20-24 µ	30.00
	Diameter - above 24 µ	25.00
4	Black Skirt Wool	15.00
	Other Fibre	
1	Gaddi Goat Hair	50.00
2	Angora Goat Hair	100.00
3	Angora Rabbit Wool	1500.00

1. कच्ची ऊन की न्यूनतम दरें उत्तराखण्ड राज्य के समस्त ऊन उत्पादित क्षेत्र, राजकीय एवं गैर राजकीय संस्था आदि पर लागू होगी।
2. उपरोक्त न्यूनतम दरों के अतिरिक्त क्रेता को नियमानुसार समय–समय निर्धारित करों का भुगतान भी पृथक से देना होगा।
3. न्यूनतम दरों के अतिरिक्त ऊन भण्डारण के लिए पैकिंग चार्ज क्रेता को पृथक से देना होगा।

4. क्षेत्र, स्थान तथा संस्था आदि से ऊन का ढुलान सम्बन्धित क्रेता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

5. ऊन उत्पादक को राज्य में उत्पादित ऊन को गुणवत्ता के मानक के अनुरूप बॉडी एवं स्कर्ट ऊन के रूप में भली प्रकार पृथक–पृथक भण्डारित करना होगा।

6. उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 1060/XV–1/16/1(16)/2016 पशुपालन अनुभाग–1 दिनांक 27.12.2016 के द्वारा ''राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना'' के अन्तर्गत ऊन क्रय समिति निम्नवत हैः–

- प्रभारी अधिकारी, ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय–विक्रय केन्द्र मुनिकीरेती टिहरी/प्रतिनिधि
- ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, पशुलोक ऋषिकेश का प्रतिनिधि
- सम्बन्धित क्षेत्र का पशुचिकित्सा अधिकारी
- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रतिनिधि

7. ऊन क्रय समिति मशीन द्वारा उत्पादित ऊन का क्रय ऊन की गुणवत्ता, ऊन की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित ऊन दरों के अनुरूप ऊन क्रय की जायेगी।

8. उपरोक्त निर्धारित दरें पूर्णतया न्यूनतम हैं। न्यूनतम दरों से अधिक मूल्य पर ऊन विक्रय करने से ऊन दर निर्धारण समिति को कोई आपत्ति नहीं होगी।

9. वर्ष 2017–18 हेतु कच्ची ऊन की निर्धारित दरें आगामी दरें जारी होने तक लागू रहेगी।

Sd/-
(डा0 अविनाश आनन्द)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0

Sd/-
(एस0 सी0 नौटियाल)
अपर निदेशक
उद्योग विभाग उत्तराखण्ड

Sd/-
(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, उत्तराखण्ड शासन/
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड

''पशुधन भवन'' द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड,
पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115, 0135–2532926 फैक्स 0135–2532816
ceo.uswdb.uk@gov.in, ceo.uswdb@yahoo.com, www.uswdbdehradun.in, www.uswdbwool.in

पत्रांक 460 /ऊ0नि0/2017–18 **दिनांकः 13 जुलाई, 2017**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारी/भेड़पालक/क्रेता।
2. उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के सम्मानित भेड़पालक सदस्य जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा।
3. प्रभारी अधिकारी, ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय–विक्रय केन्द्र, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।
4. समस्त प्रभारी/पशुचिकित्सा अधिकारी, राजकीय भेड़/बकरी/शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं फार्मस ओरियन्टेशन मक्कू–रूद्रप्रयाग।
8. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक–ऋषिकेश।
9. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/ कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/ गोपेश्वर–चमोली।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उद्योग विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान।
14. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
15. निजी सचिव, अपर सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, उत्तराखण्ड शासन/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
16. प्रमुख निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
17. प्रमुख निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, उत्तराखण्ड शासन/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
18. संयुक्त सचिव (ऊन), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
19. प्रमुख निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।

Sd/-

(डा0 अविनाश आनन्द)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0
देहरादून।

वर्ष 2017–18 हेतु उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित ऊन की दरों के निर्धारण हेतु दिनांक 10.07.2017 को आयोजित बैठक की उपस्थिति

अधिकारी

1. डा0 आर0 राजेश कुमार, आई0ए0एस0, अपर सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, उत्तराखण्ड शासन/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
2. श्री सुधीर चन्द्र नौटियाल, अपर निदेशक, उद्योग विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. डा0 अविनाश आनन्द, मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून।
4. श्री बी0 एस0 खत्री, संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
5. डा0 अशोक लीलाधर बिष्ट, अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून।
6. डा0 मनीष पटेल, संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून।
7. श्री हितेन्द्र यादव, प्रभारी अधिकारी, ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय–विक्रय केन्द्र, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।

भेड़पालक/ऊन उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि

1. श्री रमेश चन्द्र फर्सवाण, सचिव, भेड़पालन कल्याण समिति, चमोली।
2. श्री बचन सिंह पंवार, ज्येष्ठ प्रमुख क्षेत्र पंचायत, मोरी, उत्तरकाशी।
3. श्री मोहन सिंह फर्सवाण, उपाध्यक्ष, भेड़पालन कल्याण समिति, चमोली।

ऊन क्रेता

1. श्री सुशांतु मित्रा, मोजोपाण्डा एक्जिम प्रा. लि. गुड़गांव, हरियाणा।
2. श्री अतुल अग्रवाल, दून वैली निटिंग मिल्स, देहरादून।
3. श्री प्रकाश मोहन चन्दोला, अध्यक्ष, भारतीय ग्रामोत्थान संस्था, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल।
4. श्री अनिल चन्दोला, प्रभारी, भारतीय ग्रामोत्थान संस्था, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल।
5. श्री एन. पी. कुकशाल, पी.आर.ओ., भारतीय ग्रामोत्थान संस्था, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल।
6. श्री राकेश पाल, सहारनपुर।

***

मैनुअल–6

ऐसे दस्तावेजों के जो उनके द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण–

6.11 ऐसे दस्तावेजों के जो उनके द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण–

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, पशुधन भवन, द्वितीय तल, मोथरोवाला, देहरादून में निम्न दस्तावेज उपलब्ध है –

क– पंजिकायें :

1– उपस्थिति पंजिका
2– यात्रा/भ्रमण पंजिका
3– डाक डिस्पैच पंजिका
4– डाक टिकट पंजिका
5– जनरल स्टाक बुक
6– अधिशासी कमेटी तथा बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही पंजिका
7– बजट नियंत्रण पंजिका
8– देयक पंजिका
9– डैड स्टाक बुक
10–सूचना के अधिकार से सम्बन्धित

ख– पत्रावलियां–

1– योगदान आख्या, कार्मिकों की मांग, स्थानान्तरण/स्थगन से सम्बंन्धित
2– वेतन आहरण मांग पत्र से सम्बन्धित
3– दूरभाष/विद्युत/जल/जलकर देयक से सम्बन्धित
4– बोर्ड में तैनात कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली
5– विविध विषयों से सम्बन्धित
6– शासनादेशों के संकलन से सम्बन्धित
7– पशुपालन/दुग्ध विकास विभाग, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी. की बैठक के सम्बन्ध में
8– बजट मांग/स्वीकृति/आहरण वितरण से सम्बन्धित
9– भुगतान हेतु प्राप्त देयकों से सम्बन्धित
10– भवन किराये की स्वीकृति से सम्बन्धित
11– अधिशासी कमेटी की बैठकों से सम्बन्धित
12– अंगोरा शशक (पत्र व्यवहार) पत्रावली
13– प्रशासनिक सुधार आयोग से सम्बन्धित।
14– मुख्य सचिव की बैठकों में लिये गये निर्णयों का परिपालन सम्बन्धी।
15– प्रदर्शनी से सम्बन्धित।
16– फार्मो की वार्षिक प्रगति।
17– बोर्ड के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित।
18– अधिशासी कमेटी तथा अन्य बैठकों के कार्यवृत्त के संकलन से सम्बन्धित।
19– मानदेय की स्वीकृति से सम्बन्धित।
20– समीक्षा बैठक से सम्बन्धित।
21– समायोजन से सम्बन्धित।
22– मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 की अध्यक्षता में की गई बैठकों से सम्बन्धित।
23– समीक्षा केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड से सम्बन्धित।
24– विज्ञापनों से सम्बन्धित
25– कोटेशन प्रक्रिया से सम्बन्धित।
26– अवकाश हेतु प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित।
27– उत्तराखण्ड सूचना आयोग से सम्बन्धित
28– सूचना का अधिकार–2005 की एम.पी.आर. से सम्बन्धित।
29– यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 कार्यक्रम समीक्षा
30– भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मासिक प्रगति (2005–06)
31– भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मासिक प्रगति (2006–07)
32– बहुउददेशीय सेवा केन्द्र, एम0पी0आर0/लेवी

33– एम0पी0आर0 (2005–06)
34– एम0पी0आर0 (2006–07)
35– समीक्षा केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड
36– यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 कार्यक्रम समीक्षा
37– भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मासिक प्रगति (2005–06)
38– भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मासिक प्रगति (2006–07)
39– बहुउददेशीय सेवा केन्द्र, एम0पी0आर0/लेवी
40– एम0पी0आर0 (2005–06)
41– एम0पी0आर0 (2006–07)
42– भेड़/शशक आहार
43– ब्रीडिंग पोलिसी
44– एकीकृत ऊन सुधार योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण
45– प्रशिक्षण पत्रावली
46– Field Visit (Deligates)
47– भेड़ पालकों को शिविर के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में
48–उत्तराखण्ड राज्य में अंगोरा शशक कार्यक्रम योजना
49– अंगोरा शशक विकास कार्यक्रम
50–एकीकृत ऊन सुधार योजना के अन्तर्गत जनपद स्तरीय प्रशिक्षण
51– मेढ़ा नीलामी
52– अंशदान (मेढ़ा/अंगोरा/बकरा)
53– भूमि आवंटन (धूतू)
54– ग्रोथ पोल परियोजना
55– क्वारनटाईन स्टेशन से सम्बन्धित पत्रावली
56– मेढ़ा (अपलेखन) बट्टा खाता
57– शीप पैरावेट्स
58– Evaluation Reports [C.V.O.(Joint Director equivalent)]
59– यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 योजना कार्यक्रम लक्ष्य
60– चौगरखा बकरी से सम्बन्धित पत्रावली
61– अनुसूचित जनजाति के लिए भेड़–बकरी पालन योजना के सम्बन्ध में
62– यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 के तत्वाधान में नये संचालित कार्यक्रम
63–शासन द्वारा प्रेषित पत्र (Grazing Act/Board Regarding)
64– ऊन भाव/ऊन पत्रावली
65– केन्द्रीय सरकार/शासन को प्रस्तावित योजना
66– चरान–चुगान
67– Woolen Expo.
68– भेड़–बकरियों में बीमारियों से सम्बन्धित पत्रावली
69– वाहन सम्बन्धित पत्रावली
70– योजना कार्यक्रम एन0जी0ओ0
71– भूमि पशुलोक पर एम्स की स्थापना से विभागीय अनुभागों के पुर्नस्थापना पत्रावली
72– Monthly Progress Report of Rabbit (हाईफीड)
73– भ्रमण निरीक्षण बैठक (मु0अ0अ0 यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0)
74– बी0एस0एन0एल0 को शामालीती की भूमि/भवन आवंटन के सम्बन्ध में
75– ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन प्रवास मार्गो पर दी जाने वाली सुविधाएँ
76– भेड़पालकों का सर्वेक्षण
77– भेड़पालकों का पंजीकरण/सूची
78– भेड़पालकों के समूह का विवरण
79– ऊन निस्तारण
80– ऊन विश्लेषण
81– स्वयं सहायता समूह/चारा
82– यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 भवन आंगणन

83– ऊन उद्योग में लगे व्यक्तियों की सूचना
84– मेढ़ा वितरण (Ram Distribution)
85– भेड़पालकों/मेढ़ों का बीमा पत्रावली
86– मेढ़ा वितरण अनुबन्ध पत्रावली
87– मेढ़ा बीमा क्लेम (मृत्यु होने पर)
88– प्रशिक्षण उपस्थिति
89– वैक्सीन सम्बन्धी पत्रावली
90– स्टोर सम्बन्धी (औषधि वितरण आदि)
91– स्टोर विविध पत्रावली
92– स्टोर सामग्री/औषधि क्रय आदेश
93– जनपदों से सामग्री प्राप्ति पत्रावली
94– बैंकों से धनराशि आहरण सम्बन्धी पत्रावली
95– लेवी से सम्बन्धी पत्रावली
96– पशुधन/मक्कू
97– चारा विकास
98– स्थानीय औषधि क्रय
99– बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र सम्बन्धी (अन्य)
100–सेमिनार/कान्फ्रेन्स
101–हिमालय बुग्याल सर्वेक्षण
102–परिसम्पत्ति (भेड़/बकरी/शशक/मुनिकीरेती फार्म)
103–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत बरबरी बकरी पायलट प्रोजेक्ट
104– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अंगोरा बकरी प्रोजेक्ट ग्वालदम चमोली
105–केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड – रैम रेजिंग यूनिट
106–केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड – शीप पैन
107–केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड – बहुउद्देशीय प्रसार केन्द्र
108–आई0डी0एस0आर0आर0 सम्बन्धी भेड़ प्रदर्शनी
109–आई0डी0एस0आर0आर0 सम्बन्धी भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शामालीती, बागेश्वर का सुदृढ़ीकरण
110–आई0डी0एस0आर0आर0 सम्बन्धी भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार, टिहरी का सुदृढ़ीकरण
111–आई0डी0एस0आर0आर0 सम्बन्धी भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शामालीती, बागेश्वर में कृत्रि गर्भाधान
112–विकासखण्ड मोरी, उत्तरकाशी में आई0एल0डी0सी0 के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में
113–बरबरी बकरी पायलट प्रोजेक्ट सम्बन्धी पत्रावली
114–महिला बकरी पालन योजना से सम्बन्धित पत्रावली
115–राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना
116–अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना
117–मासिक प्रगति प्रतिवेदन से सम्बन्धित पत्रावली
118–योजनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियां

मैनुअल–7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

7–किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबध में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

7.1 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधि का परामर्श/भागीदारी का प्राविधान :–

क्रस	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है?	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	योजना का निर्माण	हां	बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं भेड़ पालकों का नामांकन है। भेड़ पालक समाज के प्रगति शील भेड़ पालक है।

7.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु :–

लोक प्राधिकरण हेतु नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधियों का परामर्श/भागीदारी का प्राविधान

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है?	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	योजना का निर्माण	हां	बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, 09 प्रगतिशील भेड़ पालक सदस्य एवं 01 विषय विशेषज्ञ नामित हैं ।

मैनुअल–8

ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

8– बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण–

8.1 बोर्ड का संक्षिप्त विवरण–

- सम्बद्व संस्था का नाम एवं पता – पशुपालन विभाग से सम्बद्ध उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड़ पो0 मोथरोवाला, देहरादून 248115
- **सम्बद्ध संस्था का प्रकार** (बोर्ड, परिषद्, समिति, निकाय या अन्य)– **उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड।**
- सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय

ज्ञापन वर्ष– अक्टूबर, 2003

स्थापना वर्ष– 29 अक्टूबर, 2003

संक्षिप्त उद्देश्य– उत्तराखण्ड के भेड़–बकरी पालकों को लाभ पहुॅचाना/भेड़–बकरी पालन कार्यक्रम में प्रोत्साहित करना।

- **सम्बद्ध संस्था की भूमिका–** कार्यकारिणीः
- **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य–**गवर्निंग बॉडी/23 सदस्यीय गवर्निंग बाडी जिसमें 09 सदस्य प्रगतिशील भेड़ पालक नामित है तथा दो जनता के प्रतिनिधि तथा शेष सदस्य पदेन राजकीय अधिकारी हैं। 09 सदस्यीय अधिशासी कमेटी में सभी सदस्य पदेन है।
- मुख्य अधिशासी अधिकारी का नाम–डा0 अविनाश आनन्द (मुख्य अधिशासी अधिकारी/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते–

  1– उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड़ पो0 मोथरोवाला, देहरादून 248115

  2– परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, पौड़ी।

  3– परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, नैनीताल।

  अन्य शाखायें –जनपदीय प्रबन्धक/जनपदीय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), उत्तराखण्ड।

बैठक की आवृत्ति– गवर्निंग बॉडी की वर्ष में 02 बार तथा अधिशासी कमेटी की बैठक वर्ष में चार बार बैठक आयोजित की जाती है।

- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है – नहीं, केवल सदस्य
- क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है– हां।
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है– हां।
- प्रक्रिया का विवरण– प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।

मैनुअल–9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

9— अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका—

9.1 उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत राजकीय अधिकारी / कर्मचारी :—

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष / फैक्स संख्या
1	डा0 अविनाश आनन्द	मुख्य अधिशासी अधिकारी / सदस्य सचिव	0135—2532926 / 2532816
2	डा0 अशोक लीलाधर बिष्ट	अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी	0135—2532926 / 2532816
3	डा0 पूजा कुकरेती	उप प्रबन्धक	0135—2532926 / 2532816
4	श्री विजय कुमार नवानी	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	0135—2532926 / 2532816
5	श्रीमती इन्दु कोटनाला	प्रधान सहायक	0135—2532926 / 2532816
6	श्री रमेश चन्द्र भट्ट	सहायक प्रबन्धक	0135—2532926 / 2532816
7	श्रीमती रश्मि रावत	सहायक प्रबन्धक	0135—2532926 / 2532816
8	श्रीमती अनुराधा	सहायक प्रबन्धक	0135—2532926 / 2532816

जिला स्तरीय उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के नोडल अधिकारियों की निदेशिकाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	दूरभाष सं0
1.	डा0 लोकेश कुमार	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) चमोली– गोपेश्वर	01372–252273
2.	डा0 प्रलयंकर नाथ	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) उत्तरकाशी	01374–222320, 224816
3.	डा0 एस0 के0 सिंह	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) पौडी	01368–223084
4.	डा0 पी0 एस0 रावत	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) टिहरी–नरेन्द्रनगर	01378–227296
5.	डा0 एस0 बी0 पाण्डे	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) देहरादून	0135–2712572
6.	डा0 आर0 एस0 नितवाल	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) रूद्रप्रयाग	01364–233251
7.	डा0 रवीन्द्र चन्द्रा	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) अल्मोडा	05962–232289
8.	डा0 उदय शंकर आर्य	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) बागेश्वर	05963–221475
9.	डा0 वी0 एस0 कापड़ी	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) पिथौरागढ़	05964–225319
10.	डा0 भूपेन्द्र जंगपांगी	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) चम्पावत	05965–230843
11.	डा0 प्रेमसागर भण्डारी	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) नैनीताल	05942–248367
12.	डा0 जी0 एस0 धामी	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) उधमसिंहनगर	05944–250264
13.	डा0 बी0 सी0 कर्नाटक	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) हरिद्वार	01334–239978

मैनुअल–10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

10– प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में कार्यरत समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारी पशुपालन विभाग से सम्बद्ध किये गये है तथा इनके वेतन निर्धारण एवं आहरण की कार्यवाही पशुपालन विभाग के जनपदीय मुख्य पशुचिकिसा अधिकारियों आदि द्वारा की जाती है तथा वेतन आदि का निर्धारण प्रचलित शासनादेशों/वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जाती है।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक वेतनमान रू0	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता
1	डा0 अविनाश आनन्द	मुख्य अधिशासी अधिकारी	118500–214100 लेवल–13	–
2	डा0 अशोक लीलाधर बिष्ट	अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी	78800–209200 लेवल–12	–
3	डा0 पूजा कुकरेती	उप प्रबन्धक	56100–177500 लेवल–10	–
4	श्री विजय कुमार नवानी	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	35400–112400 लेवल–06	–
5	श्रीमती इन्दु कोटनाला	प्रधान सहायक	44900–142400 लेवल–07	–
6	श्री रमेश चन्द्र भट्ट	सहायक प्रबन्धक	44900–142400 लेवल–07	–
7	श्रीमती रश्मि रावत	सहायक प्रबन्धक	35400–112400 लेवल–06	
8	श्रीमती अनुराधा	सहायक प्रबन्धक	35400–112400 लेवल–06	

मैनुअल–11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्ठियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 613/लेखा–2/आह0वित0/2017–18 दिनांक 06 मई, 2017

सेवा में,

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
   उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून।
2. सचिव, गौ सेवा आयोग,
   देहरादून।
3. सचिव,
   उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।

विषयः– अनुदान संख्या 28 लेखाशीर्षक 2403–00–001––निदेशन तथा प्रशासन 03–निदेशालय–00 के राजस्व लेखा के मतदेव पक्ष के अन्तर्गत मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में बजट आवंटन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अनुदान संख्या–28 लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन –00–001–निदेशक तथा प्रशासन –03–निदेशालय –00–के राजस्व लेखा के मतदेव पक्ष के अन्तर्गत मानक मद 20 –सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता मद के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन से आवंटित धनराशि में से आपकी मांग के अनुसार बोर्डो की आवश्यक देनदारियों के भुगतान हेतु निम्न धनराशि आपके निवर्तन पर रखी जाती है।

(धनराशि रू0 हजार में)

मानक मद	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून			उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून			सचिव, गौ सेवा आयोग, देहरादून		
	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान आवंटित धनराशि	योग	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान आवंटित धनराशि	योग	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान आवंटित धनराशि	योग
20 –सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता	–	2.00	2.00	–	2.00	2.00		4.00	4.00

कृपया आवंदित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही धनराशि व्यय करने को कष्ट करें।

भवदीय

Sd/-
(डॉ0 सत्य स्वरुप)
संयुक्त निदेशक/
आहरण एवं वितरण अधिकारी
मुख्यालय

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1251/लेखा–2/आह0वित0/2017–18 दिनांक 05 जून, 2017

सेवा में,

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
   उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून।
2. सचिव,
   गौ सेवा आयोग, देहरादून।
3. सचिव,
   उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।

विषयः– अनुदान संख्या 28 लेखाशीर्षक 2403–00–001––निदेशन तथा प्रशासन 03–निदेशालय–00 के राजस्व लेखा के मतदेव पक्ष के अन्तर्गत मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अनुदान संख्या–28 लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन –00–001–निदेशक तथा प्रशासन –03–निदेशालय –00–के राजस्व लेखा के मतदेव पक्ष के अन्तर्गत मानक मद **20 –सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता मद** के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन से आवंटित धनराशि में से आपकी मांग के अनुसार बोर्डो की आवश्यक देनदारियों के भुगतान हेतु निम्न धनराशि आपके निवर्तन पर रखी जाती है।

(धनराशि रू0 हजार में)

मानक मद	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून			उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून			सचिव, गौ सेवा आयोग, देहरादून		
	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान आवंटित धनराशि	योग	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान आवंटित धनराशि	योग	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान आवंटित धनराशि	योग
20 –सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	4.00	2.00	6.00

कृपया आवंदित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही धनराशि व्यय करने को कष्ट करें।

भवदीय

Sd/-
(डॉ0 नीरज सिंघल)
संयुक्त निदेशक/
आहरण एवं वितरण अधिकारी
मुख्यालय

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून।

पत्रांक 2295 / लेखा–2 / आह0वित0 / 2017–18 दिनांक 20 अगस्त, 2016

सेवा में,

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
   उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून।
2. सचिव,
   उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग, देहरादून।
3. सचिव,
   उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अनुदान संख्या 28 लेखाशीर्षक 2403 पशुपालन–00–001––निदेशन तथा प्रशासन 03–निदेशालय–00 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता मानक कें मतदेय पक्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुदान संख्या–28 लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशालय–00–राजस्व लेखा के मतदेव पक्ष के 20–सहायक अनुदान–अंशदान / राज सहायता मानक मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु शासन के अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष आवश्यक व्ययों के भुगतान हेतु सम्बन्धित बोर्ड / आयोग को कॉलम –4 में अंकित धनराशि निम्नानुसार आवंटित की जाती हैः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	संस्था का नाम	पूर्व में आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून	3.00	4.00	7.00
2	सचिव, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग, देहरादून	6.00	8.00	14.00
3	सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।	3.00	6.00	9.00
		12.00	18.00	30.00

भवदीय

Sd/-

(डॉ0एस0एस0बिष्ट)

निदेशक

संख्याः 2295 / लेखा–2 / 2017–18 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि आहरण एवं वितरण अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त आवंटन की सीमा के अन्तर्गत ही सम्बन्धित बोर्ड / आयोग के देयकों का आहरण करना सुनिश्चित किया जाय।

(डॉ0एस0एस0बिष्ट)

निदेशक

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून।

पत्रांक 3169 / लेखा–2 / आह0वित0 / 2017–18 दिनांक 14 सितम्बर, 2017

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अनुदान संख्या 28 लेखाशीर्षक–2403 पशुपालन 00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03 निदेशालय–00–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता मानक मद के मतदेय पक्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुदान संख्या–28 लेखाशीर्षक–2403 पशुपालन 00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशालय–00–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु शासन से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष SWAN कनेक्शन हेतु भारत सरकार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की गाईडलाईन के अनुसार ITDA उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये भारत संचार निगम लिमिटेड का डिमाड नोट के आधार पर व्ययों के भुगतान हेतु कॉलम –4 में अंकित धनराशि निम्नानुसार आवंटित की जा जाती है।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	संस्था का नाम	पूर्व में आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून	7.00	5.35	12.35
	योगः–	**7.00**	**5.35**	**12.35**

भवदीय

Sd/-

(डा0 एस0एस0बिष्ट)
निदेशक

संख्या 3169 / लेखा–2 / 2017–18 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–आहरण एवं वितरण अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त आवंटन की सीमा के अन्तर्गत ही सम्बन्धित बोर्ड / आयोग के देयकों का आहरण करना सुनिश्चित किया जाय।

Sd/-

(डा0 एस0एस0बिष्ट)
निदेशक

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट वर्ष 2017–18
(सभी योजनाओं व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

केन्द्र पोषित योजनाएँ

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	योजना का नाम	पिछला अवशेष	बजट प्राप्त	व्यय	अवशेष
1	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार जोधपुर राजस्थान के वित्तीय सहयोग से भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (SWIS)	25.00	13.50	25.00	13.50
2	Improving the Livelihood of Sheep Breeders Using 5 Mobile Veterinary Van On Migratory Routes (RKVY)	11.00	0.00	11.00	0.00
3	Providing facilities to shepherds for wool and livelihood improvement by Machine Shearing, treatment camps and establishment of Sheep/Goat Paravet Centre (ILSP)	5.27	0.00	5.27	0.00
4	अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना (RKVY)	0.00	49.00	46.00	3.00
5	Strengthening of Govt. Sheep/Goat Breeding Farms (RKVY)				
5.1	GBF Dunda, Uttarkashi	0.00	46.00	46.00	0.00
5.2	SBF Pipalkoti, Chamoli	0.00	60.23	60.23	0.00
5.3	SBF Kedarkantha, Chamoli	0.00	25.00	25.00	0.00

राज्य पोषित योजनाएँ

क्र0सं0	योजना का नाम	प्राप्त बजट	व्यय
1	राज्य सेक्टर योजना अनुदान संख्या–28 (20 सहायक अनुदान)	12.35	12.35
2	अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना	2.16	2.16

मैनुअल–12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसे आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

12— सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसे आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा चलायें जाने वाले समस्त कार्यों के लिए जिलों के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, की सहायता ली जाती है। भेड़पालकों से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम को चलाने से पहले मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी से उनके नामों की एक सूची मॉगी जाती है। उसके बाद सभी भेड़पालकों को सूचित किया जाता है कि उन्हें प्रदान की जानी वाली सुविधायें कहॉ से प्राप्त की जा सकती हैं।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून के तत्वाधान में भेड़ बकरी पालकों के लिये वर्ष 2017–18 में चिकित्सा शिविरों में किये गये कार्यो का विवरण

क्र0 सं0	दिनांक	शिविर का स्थान	भेड़/बकरी पालकों की संख्या	किये गये कार्यो का विवरण			
				चिकित्सा	दवापान	दवास्नान	टीकाकरण
1	23.08.2017	ग्राम– गाडीब्रिज वि0ख0– जोशीमठ चमोली	13	60	450	360	0
2	24.08.2017	ग्राम– भुजगड़ पो0– मलारी वि0ख0– जोशीमठ चमोली	08	50	230	80	0
3	26.08.2017	ग्राम– भापकुण्ड पो0– मलारी वि0ख0– जोशीमठ चमोली	07	120	740	500	0
4	27.08.207	ग्राम– रेवलीबगड पो0– मलारी वि0ख0 जोशीमठ चमोली	06	90	370	250	0
5	3.09.2017	ग्राम– भितरी पो0– द्रोणी वि0ख0– मोरी उत्तरकाशी	03	85	500	530	0
6	04.09.2017	ग्राम– मसरी पो0– द्रोणी वि0ख0– मोरी उत्तरकाशी	13	75	680	410	0
7	05.09.2017	ग्राम– द्रोणी पो0– द्रोणी वि0ख0– मोरी उत्तरकाशी	07	36	320	220	0
8	06.09.2017	ग्राम– जखोल पो0– जखोल वि0ख0– मोरी उत्तरकाशी	05	38	200	180	0
9	13.09.2017	ग्राम– टडवाण गांव पो0– पन्तवाडी तह0– थ्यूड़ टिहरी गढ़वाल	06	151	246	110	0
10	04.10.2017	ग्राम– खोड़बांगर, रूद्रप्रयाग	05	63	350	190	0
11	10.10.2017	ग्राम– कपनौल उत्तरकाशी	04	40	200	120	0
12	11.10.2017	ग्राम– सरनौल उत्तरकाशी	04	15	90	40	0
13	12.10.2017	ग्राम– पॉवतल्ला, उत्तरकाशी	03	10	40	30	0
14	13.10.2017	ग्राम– शिकारू, पुरोला उत्तरकाशी	03	12	65	80	0
15	30.10.2017	ग्राम– वाछम, कपकोट, बागेश्वर	02	13	62	40	0
16	01.11.2017	ग्राम– बलाती, मुन्स्यारी, पिथोरागढ़	10	35	215	90	0
17	03.11.2017	ग्राम– गौठी, धारचूला, पिथौरागढ़	05	21	72	70	0
18	05.11.2017	ग्राम– वाण, चमोली	05	23	90	70	0
19	13.01.2018	ग्राम– चौरपानी ऋषिकेश	10	160	400	500	0
20	07.02.2018	ग्राम–फतेहपुर हल्द्वानी, नैनीताल	05	160	1350	870	1600
21	08.02.2018	ग्राम–चौरगलिया, नैनीताल	06	110	245	30	0
22	09.02.2018	ग्राम–रामनगर, नैनीताल	09	125	1250	800	0
23	10.02.2018	ग्राम–कोटाबाग, नैनीताल	05	110	500	350	0
24	23.02.2018	ग्राम–राजावाला (सेलाकुई) देहरादून	05	69	190	230	0
		योग	**149**	**1671**	**8855**	**6150**	**1600**

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून (यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0)
वर्ष 2017–18

Machine Shearing Camps

क्र0 सं0	दिनांक	दिवस	शियरिंग का स्थान / वि0ख0 / जनपद	लाभन्वित भेड़ पालकों की संख्या	मशीन शियरिंग की गयी भेड़ों की संख्या	उत्पादित ऊन की मात्रा (कि0ग्रा0)
1	23.08.2017	1	ग्राम– गाडीब्रिज जोशीमठ चमोली	6	185	275
2	24.8.2017 से 25.8.2017 तक	2	ग्राम– भुजगड़ पो0– मलारी, जोशीमठ चमोली	17	250	370
3	26.8.2017 से 27.8.2017 तक	2	ग्राम– भापकुण्ड पो0– मलारी, जोशीमठ चमोली	15	281	416
4	27.8.2017 से 28.8.2017 तक	2	ग्राम– रेवलीबगड पो0– मलारी वि0ख0– जोशीमठ जनपद– चमोली	19	213	315
5	28.08.2017	1	ग्राम– गमशाली पो0– मलारी जोशीमठ चमोली	2	65	95
6	2.9.2017 से 4.9.2017. तक	3	ग्राम– खेड़मी पो0– खड़सारी मोरी उत्तरकाशी	9	721	1070
7	2.9.2017 से 4.9.2017. तक	3	ग्राम– भितरी पो0– द्रोणी, मोरी उत्तरकाशी	5	475	705
8	04.09.2017	1	ग्राम – मसरी, पो0– मसरी, मोरी उत्तरकाशी	—	-	-
9	05.09.2017	1	ग्राम – दोणी, पो0– दोणी, मोरी उत्तरकाशी	—	-	-
10	06.09.2017	1	ग्राम – जखोल, पो0– जखोल, मोरी उत्तरकाशी	—	-	-
11	07.09.2017	1	ग्राम – साँकरी, पो0– साँकरी, मोरी, उत्तरकाशी	—	-	-
12	13.09.2017	1	ग्राम– टडवाण गांव पो0– पन्तवाडी तह0– थ्त्यूड टिहरी	6	65	95
13	04.10.2017 से 07.10.2017 तक	4	ग्राम– खोड़बांगर तह0– जखोली रूद्रप्रयाग, खाल (वनक्षेत्र)	12	519	765
14	06.10.2017 से 07.10.2017 तक	2	ग्राम– चौमासी वि0ख0– ऊखीमठ रूद्रप्रयाग	14	108	160
15	10.10.2017	1	ग्राम– कपनौल, पो0– कपनौल, बरकोट,	—	-	-

			उत्तरकाशी			
16	11.10.2017	1	ग्राम– सरनौल, पो0– सरनौल, बरकोट, उत्तरकाशी	—	-	-
17	12.10.2017	1	ग्राम – पाँवतल्ला, पो0– जखोल, मोरी, उत्तरकाशी	—	-	-
18	13.10.2020	1	ग्राम – शिकारू, पो0– ढ़काड़ा, पुरोला, उत्तरकाशी	—	-	-
19	30.10.2017 से 31.10.2017 तक	2	ग्राम– वाछम, पो0– खाती, कपकोट, बागेश्वर	9	220	325
20	31.10.2017	1	ग्राम– मुनार, पो0– रिखाड़ी, कपकोट, बागेश्वर	—	-	-
21	01.11.2017	1	ग्राम– बलाती, पो0– मुनस्यारी, पिथौरागढ़	—	-	-
22	02.11.2017	1	ग्राम– धापा, पो0– दुम्मर, मुनस्यारी, पिथौरागढ़	—	-	-
23	03.11.2017	1	ग्राम– गौठी, पो0– कालिका, धारचूला, पिथौरागढ़	—	-	-
24	05.11.2017	1	ग्राम– वाँण, पो0– वाँण देवाल, चमोली	—	-	-
25	23.12.2017 से 26.12.2017 तक	4	ग्राम– जुड्डो, भोंपालपानी रायपुर, देहरादून	7	500	675
26	27.12.2017 से 30.12.2017 तक	4	ग्राम– राजपुर, मसूरी, देहरादून	6	400	540
27	04.01.2018 से 08.01.2018 तक	5	ग्राम– धौला चौकी प्रेमनगर, मसूरी, देहरादून	5	300	405
28	06.02.2018	1	ग्राम– फतेहपुर, हल्द्वानी, नैनीताल	-	-	-
29	07.02.2018	1	ग्राम– चौरगलिया, हल्द्वानी, नैनीताल	-	-	-
30	08.02.2018	1	ग्राम– रामनगर, हल्द्वानी नैनीताल	-	-	-
31	09.02.2018	1	ग्राम– कोटबांग, हल्द्वानी नैनीताल	-	-	-
योग		**53**		**132**	**4302**	**6211**

मैनुअल–13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों/ अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

13–अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों/अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण :–

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के वर्ष 2017–18 के मुख्य कार्य

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम [NCDC]

1. राज्य में प्रथम बार त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे के अन्तर्गत सहकारी समितियों का गठन।
2. राज्य के 10,000 (5000 महिलाएं) भेड़–बकरी पालकों को संगठित करते हुए किसानों की आय दोगुनी करने एवं उत्पादों की समुचित विपणन के उद्देश्य से योजना की परिकल्पना एवं विस्तृत प्रोजेक्ट के निर्माण की कार्यवाही।

नाबार्ड–आर0आई0डी0एफ0 योजना

1. राज्य में प्रथम बार नाबार्ड–आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत पशुपालन विभाग को राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र थलकुण्डी (उत्तरकाशी), कोपड़धार (टिहरी गढ़वाल) एवं खलियानबांगर (रूद्रप्रयाग) के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना स्वीकृत की गयी है।
2. योजना की अनुमानित स्वीकृत लागत रू0 9.00 करोड़ है।

मोबाईल जेट स्प्रे मशीन

2. राज्य के घुमन्तू भेड़–बकरी पालकों की भेड़–बकरियों के बाह्य परजीवी की रोकथाम हेतु प्रथम बार न्यूजीलैण्ड से आयातित मोबाईल जेट स्प्रे मशीन को राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पांगू, पिथौरागढ़ में उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा विकास निधि के अन्तर्गत व्यवस्थित किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

1. योजनान्तर्गत राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पीपलकोटी, केदारकांठा (चमोली) एवं राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र डुण्डा (उत्तरकाशी) के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना स्वीकृत की गयी है। योजना की अनुमानित स्वीकृत लागत रू0 7.00 करोड़ है।
2. अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना के अन्तर्गत प्रति विकासखण्ड 02 बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
3. प्रवर्जन मार्गो हेतु भेड़पालकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पांच सुसज्जित मोबाईल वेटरिनरी वैन के क्रियान्वयन एवं सफल संचालन कराया गया।
4. अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 हेतु रू0 100.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कराई गई।
5. अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना के अन्तर्गत 26 भेड़–बकरी पालकों का केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान [CSWRI] अविकानगर, राजस्थान में अध्ययन भ्रमण कराया गया।
6. योजना से सम्बन्धित सूचनाओं को RKVY MIS में upload कराया गया।

विश्व बैंक योजना

सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम [MSME] के अन्तर्गत बाह्य सहायतित योजना [EAP] में Natural fibre (Wool and Hair) के Sustainable Livelihood Development of Shepherds of Uttarakhand, Breed improvement through breed replacement की परियोजना उद्योग विभाग उत्तराखण्ड के माध्यम से विश्व बैंक को प्रेषित की गयी है।

Pilot project on Boer Goat

बोएर बकरी एवं अन्य उन्नत नस्ल की भेड़–बकरी की प्रदर्शन इकाई की स्थापना पशुलोक–ऋषिकेश में की जा रही है।

राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना

1. योजनान्तर्गत भेड़–बकरी बाहुल्य क्षेत्रों पिथौरागढ, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, देहरादून एवं टिहरी में 31 मशीन ऊन कतरन शिविरों एवं पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कराया गया तथा शिविरों में भेड़–बकरी पालकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करायी गयी।
2. वर्ष 2017–18 में राज्य में उत्पादित लगभग 141 कु0 कच्ची ऊन का क्रय किया गया।
3. राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना के अन्तर्गत ऊन ढुलान हेतु एक वाहन का क्रय किया गया। साथ ही ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केन्द्र मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल का सुदृढ़ीकरण किया गया।

मशीन ऊन कतरन एवं पशुचिकित्सा शिविरों का आयोजन

24 मशीन ऊन कतरन एवं पशुचिकित्सा शिविरों का आयोजन भेड़–बकरी बाहुल्य क्षेत्रों में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, देहरादून एवं टिहरी में किया गया।

भेड़ प्रदर्शनी

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त पोषण से 11 भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, एवं रूद्रप्रयाग में किया गया।

प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट

1. अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना [RKVY] के अन्तर्गत 26 भेड़–बकरी पालकों को केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान में वैज्ञानिक विधि से भेड़–बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया गया।
2. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र हिसार, हरियाणा द्वारा 18 भेड़पालकों को ऊन शियरर का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
3. नवनियुक्त 04 पशुचिकित्सा अधिकारियों को भेड़–बकरी पालन के प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान में सम्पन्न कराया गया।
4. केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान में 04 पशुचिकित्सा अधिकारियों को भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया गया।

मेढ़ा वितरण

राज्य के भेड़पालकों को उन्नतशील मेढ़ों का वितरण एवं उत्तराखण्ड के राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षत्रों से उत्पन्न 310 मेढ़ें पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश को नस्ल सुधार हेतु वितरित किये गये।

लेह–लद्दाख से अंगोरा बकरियों का क्रय

1. राजकीय अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र लेह–लद्दाख से 60 अंगोरा बकरियों का क्रय कर राजकीय अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ग्वालदम चमोली में व्यवस्थित किया गया।
2. वर्ष 1960 के बाद अंगोरा बकरियां प्रक्षेत्र पर परिवर्तित की गयी।

राष्ट्रीय प्रदर्शनी

1. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में अहमदाबाद में Textiles India 2017, 30 जून–02 जुलाई, 2017 का आयोजन
2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03–05 नवम्बर, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अर्न्तराष्ट्रीय "World Food India 2017" का आयोजन।
3. कृषि उन्नति मेला 2018 में नई दिल्ली में दिनांक 16–18 मार्च, 2018 का आयोजन।

केन्द्रीय ऊन विकास बार्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

1. भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (SWIS) के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में राज्य के 08 भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ों में दवापान, दवास्नान, टीकाकरण एवं चिकित्सा आदि कार्य किये गये।
2. भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (SWIS) के अन्तर्गत नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य एवं राज्य से बाहर, पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश को 323 उच्च गुणवत्ता के मेढ़ों का वितरण रैम रेंजिग यूनिट एवं राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों के माध्यम से किया गया।
3. मशीन द्वारा ऊन कतरन प्रशिक्षण में 18 ऊन शियररों को केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान एवं बीकानेर में प्रशिक्षण दिया गया।
4. योजनान्तर्गत 11 भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन भेड़ बाहुल्य दुर्गम क्षेत्रों में (चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर) किया गया जिसमें भेड़पालकों को पुरस्कार के रूप में प्रेशर कुकर, रेन कोट, स्लीपिंग बैग आदि वितरित किये गये।
5. वर्ष 2017–18 हेतु भेड़पालकों के हितार्थ वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये।

अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना (राज्य सेक्टर)

1. वर्ष 2017–18 में 196 भेड़–बकरी इकाईयों की स्थापना की गई।
2. बोर्ड की Website www.uswdbdehradun.in पर लगभग 3400 भेड़–बकरी पालकों का online पंजीकरण कराया गया।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP-IFAD)

1. योजना के अन्तर्गत भेड़पालकों के मध्य राज्य के भेड़ बाहुल्य दुर्गम क्षेत्रों में 11 भेड़ प्रदर्शिनियों में पुरस्कार के रूप में टेन्ट, टोर्च आदि भेड़पालकों को वितरित कराई गई।
2. वर्ष 2017–18 में शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान 31 मशीन ऊन कतरन शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 132 भेड़पालकों की 4302 भेड़ों का मशीन द्वारा ऊन कतरन किया गया।
3. भेड़पालकों के हितार्थ 18 चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।
4. योजनान्तर्गत मशीन ऊन कतरन, चिकित्सा शिविरों एवं भेड़ प्रदर्शनी से सम्बन्धित समस्त विवरण ILSP के MIS में upload कराये गये।

महिला बकरी पालन योजना

वर्ष 2017–18 में 85 बकरी इकाईयों की स्थापना की गई है।

SECURE Himalaya

Securing Livelihoods, Conservation, Sustainable use and Restoration of High Range Himalayan Ecosystems (SECURE) through Alpine Grassland and Livestock Management योजना स्वीकृति हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड को प्रेषित की गई।

ऊन की दरों का निर्धारण

ऊन उत्पादकों एवं ऊन क्रेताओं के मध्य राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक में वर्ष 2017–18 की कच्ची ऊन की दरों का निर्धारण किया गया।

******

मैनुअल–14

किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो

14– किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो–

बोर्ड के पास नागरिकों को सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न प्रणालियां उपलब्ध है–

(क) उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की वैब साईट www.uswdbdehradun.in

(ख) विज्ञापनों द्वारा

(ग) गोष्ठियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा

(घ) रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा

वर्तमान समय में बोर्ड के पास कोई भी पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है जहां से नागरिकों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें।

मैनुअल–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है

15– सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण–

- समाचार पत्र
- पत्रिकायें
- सूचना पटल
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था–प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर।
- विभागीय मैनुअल– जनपदीय कार्यालय एवं मुख्यालय।
- विभागीय वैब साईट www.ahd.uk.gov.in
- टेलीविजन, रेडियो पम्पलेट इत्यादि।
- बोर्ड की वेब साइट– www.uswdbdehradun.in

मैनुअल–16

लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

16– लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

16.1 लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेंट अथोरिटी के सम्बन्ध में सूचना–

क– लोक सूचना अधिकारी–

क्रमांक	नाम	पदनाम	टेलीफोन / फैक्स नं0	पता
1.	डा0 ए0 एल0 बिष्ट	संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी	0135–2532926 / 2532816	पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग), मोथरोवाला रोड़, पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115

ख– विभागीय अपीलेंट अथोरिटी

क्र.सं.	नाम	पदनाम	टेलीफोन / फैक्स नं0	पता
1.	डा0 अविनाश आनन्द	मुख्य अधिशासी अधिकारी	0135–2532926 / 2532816	पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग), मोथरोवाला रोड़, पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115

मैनुअल–17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

17– ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय–

17.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा उनके उत्तर प्रकरण पर कार्यवाही अपेक्षित है।

17.2 सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में–

- आवेदन–पत्र प्रारूप शासन द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।
- शुल्क–शासन द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह मांगी जाय–आवेदन प्रारूप निर्धारित होने के उपरान्त
- सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया– किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा सूचना न देने पर शासन द्वारा राज्य सूचना आयुक्त से अपील की जा सकती है। जिसकी प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित की जा रही है।

17.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में:–

- प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण– भेड़ पालकों को भेड़पालन ,प्रबन्धन, मशीन द्वारा ऊन कतरन, संक्रामक बीमारियां तथा उनकी रोकथाम आदि का प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा– प्रत्येक वित्तीय वर्ष माह अप्रैल से माह मार्च।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य–भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करते हुये भेड़ों में होने वाली प्रमुख बीमारियां तथा उनकी रोकथाम, मशीन द्वारा ऊन कतरन कार्यक्रम एवं नस्ल सुधार आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- लाभार्थी की पात्रता– लाभार्थी का भेड़पालक होना अनिवार्य है।
- पूर्वापेक्षायें– भेड़पालक प्रगतिशील होना अनिवार्य है।
- अनुदान/सहायता– कोई नहीं।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण– कोई नहीं।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया– कोई नहीं।
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें– क्षेत्र/जनपद के पशुपालन विभाग की विभागीय संस्था/पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारीं।
- आवेदन शुल्क– कोई नहीं।
- अन्य शुल्क – कोई नहीं।
- आवेदन–पत्र का प्रारूप–प्रार्थना–पत्र के रूप में आवेदन किया जाना तथा इसमें भेड़ों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- संलग्नकों की सूची– कोई नहीं।
- संलग्नकों का प्रारूप– कोई नहीं।
- आवेदन करने की प्रक्रिया– भेड़ पालक अपना आवेदन पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।
- चयन प्रक्रिया– प्रार्थना–पत्र/आवेदन–पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से विकास खण्ड स्तर पर गठित चयन समिति जिसमें ग्राम प्रधान, विकास खण्ड स्तर के पशुचिकित्सा अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा चयनित कर क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी– प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः माह सितम्बर के अन्तिम सप्ताह से माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका– डाक द्वारा/दूरभाष द्वारा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया जाना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य– क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी/पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से ग्राम प्रधान को अवगत कराते हुये भेड़ पालकों को जागरूक किया जाना है।

- विभिन्न स्तरों पर जैसे जिला स्तर/ब्लाक स्तर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण– इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

17.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र, अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में–

- प्रमाण–पत्र, अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि का नाम व विवरण– भेड़ पालक प्रशिक्षण
- प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता– प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक भाग लेना अनिवार्य है।
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें– क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी
- आवेदन शुल्क– कोई नहीं।
- अन्य शुल्क– कोई नहीं।
- आवेदन–पत्र का प्रारूप–प्रार्थना–पत्र के रूप में आवेदन किया जाना तथा इसमें भेड़ों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- संलग्नकों की सूची– कोई नहीं।
- संलग्नकों का प्रारूप– कोई नहीं।
- आवेदन करने की प्रक्रिया– भेड़ पालक अपना आवेदन पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।
- चयन प्रक्रिया– प्रार्थना–पत्र/आवेदन–पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से विकास खण्ड स्तर पर गठित चयन समिति जिसमें ग्राम प्रधान, विकास खण्ड स्तर के पशुचिकित्साधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा चयनित कर क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया– प्रशिक्षण कार्यक्रम/स्थान निर्धारित करते हुये प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रमाण–पत्र प्रदान करना।
- आवेदन की सारी प्राथमिकतायें सही तरीके से पूरी करने के पश्चात् प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि जारी करने के लिये निर्धारित समयावधि–प्रशिक्षण प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् प्रमाण पत्र निर्गत कियाजाना है।
- प्रमाण–पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा– कोई नहीं।
- नवीनीकरण की प्रक्रिया– कोई नहीं।

17.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के सम्बन्ध में –

- **पंजीयन का उद्देश्य–** भेड़ पालकों को समस्त विभागीय सुविधायें प्रदान करने के लिये तथा उनके सत्यापन हेतु। यदि भेड़ पालक किसी बैंक से ऋण प्राप्त करता है तो उसके लिये उपयोगी।
- लाभार्थी की पात्रता– लाभार्थी का भेड़पालक होना अनिवार्य है।
- पूर्वापेक्षायें– भेड़पालक प्रगतिशील होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें– क्षेत्र/जनपद के पशुपालन विभाग की विभागीय संस्था/पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारीं।
- आवेदन शुल्क– कोई नहीं।
- अन्य शुल्क – कोई नहीं।
- आवेदन–पत्र का प्रारूप–प्रार्थना–पत्र के रूप में आवेदन किया जाना तथा इसमें भेड़ों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- संलग्नकों की सूची– कोई नहीं।
- संलग्नकों का प्रारूप– कोई नहीं।
- आवेदन करने की प्रक्रिया– भेड़ पालक अपना आवेदन पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।

- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया– प्रशिक्षण कार्यक्रम/स्थान निर्धारित करते हुये प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रमाण–पत्र प्रदान करना।
- आवेदन की सारी प्राथमिकतायें सही तरीके से पूरी करने के पश्चात् प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि जारी करने के लिये निर्धारित समयावधि– प्रशिक्षण प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है।
- प्रमाण–पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा– कोई नहीं।
- नवीनीकरण की प्रक्रिया– कोई नहीं।

17.6 लोक प्राधिकरण द्वारा टैक्स लेने के सम्बन्ध में – कोई नहीं।

17.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के संयोजन, संयोजन को अस्थाई/स्थाई रूप से विच्छेदन आदि के सम्बन्ध में – कोई नहीं।

17.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण– लोक प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ के अतिरिक्त ऊन विपणन में अन्य विभागों जैसे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से सहायता देना तथा कताई बुनाई की नई तकनीकों की जानकारी देना।

****